निजाम सरकार की सफाई की जाँच तथा उसका भण्डा फोड़

हैदराबाद सरकार द्वारा प्रकाशित उत्तर का प्रत्युत्तर

स्रोत

सार्वदेशिक

वर्ष 13, अंक 1, मार्च 1939

सम्पादक

प्रो. सुधाकर, एम.ए.

स. सम्पादक

श्री रघुनाथप्रसाद पाठक

मार्च १९३९

ऋग्वेद

यजुर्वेद

सार्वदेशिक

वर्ष १३ अङ्क १

फाल्गुन १९९५ दया० ११४

निज़ाम सरकार
की
सफ़ाई की जाँच
तथा
उसका भण्डा फोड़

हैदराबाद सरकार द्वारा प्रकाशित
उत्तर का प्रत्युत्तर

सम्पादक—प्रो० सुधाकर, एम०ए०,
स० सम्पादक—श्री रघुनाथप्रसाद पाठक

वार्षिक मू० स्वदेश २), एक प्रति का ≈), विदेश से ९ शि० वार्षिक

अथर्ववेद

सामवेद

प्रथम अध्याय

प्रारम्भिक शब्द

"हैद्राबाद में आर्य्य समाज" एक पुस्तक का शीर्षक है जो सार्वदेशिक आर्य्य-प्रतिनिधि-सभा द्वारा प्रकाशित "The Case of Arya Samaj in Hyderabad State" नामक पुस्तक का उत्तर है। सार्वदेशिक सभा की पुस्तक में निज़ाम राज्य की आर्य्य समाजियों की पुरानी कठिनाइयों और शिकायतों का वर्णन किया गया था। जब शोलापुर में आर्य्य कांग्रेस का अधिवेशन भरा हुआ था तब ही यह पुस्तक प्राप्त हुई थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष तथा भारतवर्ष के बाहर प्रभावशाली क्षेत्रों में इस पुस्तक का खूब प्रचार किया गया है। कोई भी व्यक्ति स्वभावतया यह आशा कर सकता था कि एक बड़ी रियासत के अत्यन्त ज़िम्मेवार क्षेत्रों से निकलने वाली पुस्तक असन्तुष्ट प्रजाजनों को सन्तुष्ट करने तथा भविष्य में उनमें सद्भाव और शान्ति स्थापित करने के लिये आरोपों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच-पड़ताल का परिणाम होगी। परन्तु पुस्तक पर सरसरी निगाह डालते ही इसमें से कट्टर साम्प्रदायिकता की गंध आती है और ऐसा लगता है कि यह पुस्तक ऐसे सम्प्रदायवादी के द्वारा लिखी गई है जिसकी अपने विवाद-ग्रस्त लेखों में विरोधियों पर कीचड़ उछालने की आदत होती है। इस पुस्तक की प्रत्येक पंक्ति हमें उस वकील का स्मरण कराती है जो कमज़ोर मुक़द्दमे की पैरवी के भार से लदा होता है और बहुधा सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद प्रकट करने का यत्न करता है। निश्चय ही निज़ाम सरकार में विशाल-हृदय रखने वाले अधिकारियों की कमी न होगी जो अधिक गंभीरता और कम द्वेषभाव से विषय का प्रतिपादन करते।

ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में 'साम्प्रदायिकता' का बोल बाला है और यही हमारी सबसे बड़ी शिकायत है। हमारी पुस्तक का उत्तर लिखने का कार्य ऐसे व्यक्ति पर डाला गया जिसके हृदय में सत्य और न्याय के प्रति बहुत कम सम्मान देख पड़ता है और जो "जूते का जवाब जूते से" देने के अपने जोश में जांच-पड़ताल करना भी पसन्द नहीं करता है। आर्य-प्रतिनिधि-सभा निज़ाम राज्य का ज़िक्र करते हुए पुस्तक में लिखा गया है 'यह केन्द्रीय-संगठन देहली की सार्व-

देशिक-आर्य-प्रतिनिधि-सभा के साथ संयोजित है और इण्टरनेशनल एर्यन लीग (International Aryan League) से भी इसका मार्ग प्रदर्शन होता है।' यदि लेखक उस लम्बे पत्र व्यवहार को ही देख लेता जो सार्वदेशिक सभा और निजाम-सरकार के मध्य हुआ था तो सबसे पहली और बड़ी भूल जिसके सुधार की आवश्यकता है उससे न हुई होती। सार्वदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि-सभा और इंटर नैशनल लीग दो सभाएँ नहीं हैं अपितु एक ही सभा है जिसके साथ संसार भर की आर्य समाजें सम्बन्धित हैं। पुस्तक में आर्य समाज के आक्षेपों और आरोपों का तो उत्तर नहीं दिया गया है वरन् उल्टे आर्य समाज पर ही इल्जाम लगाए गए हैं और यह कहकर आर्य समाज को बदनाम किया गया है कि "हिंसात्मक राजनैतिक और साम्प्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाले समाज से अधिक और कुछ नहीं है और वह झूठे प्रचार और बात को बढ़ा-बढ़ा कर कहने के अपने मिशनपर चल रहा है" परन्तु लेखक ने स्वयं जिस मार्ग का अवलम्बन किया है उसका पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं (पृष्ठ १) भजनों का गलत अनुवाद करने और हमारे प्रचारकों के मत्थे भयंकर वचन मढ़ने में जो कदाचित् लेखक जैसी झूठ सच की पर्वा न करने वाली सी० आई० डी० की रिपोर्टों पर आश्रित हैं, लेखक को आनन्द आता है। अप्रासंगिक अखबारों की कतरनों को उद्धृत करके मुख्य २ घटनाओं का जिक्र न करके, अपनी सरकार की तहकीकातों को छुपाकर जिनमें आर्य समाज की शिकायतें सच्ची सिद्ध हुई हैं और ताजा घटनाओं को जो इतनी स्पष्ट हैं जिनसे न इन्कार किया जा सकता है और न जिन का कोई उत्तर दिया जा सकता है, कोरी 'गप्प' कहकर लेखक प्रसन्न होता है।

क्या यह आशा हो सकती है कि असत्य बातों से भरी हुई यह पुस्तक निजाम सरकार के गौरव को बढ़ावगी और उसे अकाट्य आक्षेपों से मुक्त करेगी ? परमात्मा ऐसे मित्रों से सरकार की रक्षा करें!

हम आगे के पृष्ठों में निजाम सरकार के पक्ष में प्रस्तुत की हुई कुछ आवश्यक बातों पर विचार करने और उनकी निस्सारता दर्शाने का यत्न करेंगे। पुस्तक में १३ परिशिष्ट हैं। संख्या ५ और ६ को हम हाथ नहीं लगाना चाहते क्योंकि न्यूनाधिक रूप में उनका सम्बन्ध श्री० भाई परमानन्द और सावरकर जी से है और वे दोनों ही अपने पक्ष को प्रस्तुत करने में काफी समर्थ हैं। संख्या ४ वेदप्रकाश सम्बन्धी नाटक है और वह उतना ही निर्दोष है जितनी बीभत्स उसकी हत्या है।

लेखक इस दुखद घटना को परिशिष्ट सं० ८ में कोरी गप्प बतलाता है। हमने पृथक् शीर्षक में इस सम्बन्ध में विचार किया है। संख्या ७ राम राव नामक किसी व्यक्ति का पत्र है जो न हमारा प्रतिनिधि है और न जिसे हम जानते ही हैं। मालदार निजाम सरकार के लिए इस प्रकार के पत्र प्राप्त करना कठिन नहीं है। शेष परिशिष्टों को शान्ति से विश्राम करने के लिए छोड़े देते हैं। निजाम सरकार उन्हें शौक से देखती रहे और यदि चाहे तो उन पर प्रसन्न होती रहे।

शेष परिशिष्टों को हम यथा-स्थान लेंगे।

दूसरा अध्याय

आर्य्य समाज पर स्याही पोतना

पुस्तक के परिशिष्ट संख्या १, २, ३ (पृष्ठ ६ से २१ तक) सभ्य संसार को आर्य्य समाज के विरुद्ध भड़काने के विशेष उद्देश्य से लिखे गए हैं और यह कार्य्य बड़ी चालाकी से आर्य्य समाजियों के कतिपय निर्दोष लेखों में भयंकर मन घड़न्त बातें जोड़कर और 'रणदुन्दुभि' सरीखे ग़ैर आर्य्य समाजी पत्रों के नितान्त निराधार अवतरणों को दे दे कर पूरा किया है। यह अत्यन्त निर्दयी प्रहार है। अत्यन्त आक्षेप योग्य बातें कई आर्य्य प्रचारकों के गले मढ़ी गई हैं जो सी० आई० डी० अथवा पुलिस के सफेद झूठ के सिवा और कुछ नहीं हैं। उदाहरण के लिए श्री० बल्देवजी ने २६ ३ १६३८ को निम्न बातें कही बतलाते हैं (कहाँ और किस अवसर पर यह ईश्वर ही जानता है)।

"भारत वर्ष में मुसल्मानों का नामों निशान भी नहीं रहना चाहिए।"

'हम शीघ्र ही मुसल्मानों का ख़ात्मा करने वाले हैं।'

"हिन्दुओं को भी मुसल्मानों की औरतों को सताना चाहिए।"

'भारतवर्ष में निज़ाम स्टेट का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए।'

'भारतवर्ष में हिन्दुओं का राज्य होना चाहिए।'

'कोई मुसल्मान बादशाह नहीं हो सकता है।'

'छः महीने के भीतर भीतर हमें निज़ाम का तख़्त क़ब्जे में करना है।'

(पृष्ठ सं० ९)

इस प्रकार की बातों का जितना खण्डन किया जाय उतना ही थोड़ा है और यदि इनमें कोई सत्यता होती तो हम एक भी आंसू न गिराते। महाशय बल्देव इन बातों से सर्वथा इन्कार करते हैं। पुलीस के अत्याचारों की मौजूदगी में सफ़ाई की निस्सारता अनुभव करते हुए कोई बयान देने के स्थान में उन्होंने जेल जाना पसन्द किया। पण्डित रामचन्द्र जी तथा अन्यों के मत्थे भी झूठे बयान मढ़े गए हैं और उन का वक्ताओं ने पूर्ण खण्डन किया है।

पृष्ठ ६ पर हैद्राबाद में आर्य्य कुमार सभा के जल्से में निम्न वाक्य म० सोहनलाल के द्वारा कहे गए प्रगट किए गए हैं। 'कृष्ण चोर और जार था'। "सीता

गन्दी पुस्तक है"। स्पष्टतया ये वाक्य सनातनधर्मियों के क्रोध को भड़काने के लिए लिखे गए हैं। गरीब पुलिस रिपोर्टर को पता नहीं है कि आर्य्य समाजी कृष्ण और गीता दोनों का आदर करते हैं और गीता को गन्दी पुस्तक और भगवान् कृष्ण को 'व्यभिचारी' 'समझना पाप समझते हैं। रिपोर्टर ने जरूर सुना होगा कि आर्य्य समाजी 'अवतारों' में विश्वास नहीं करते हैं और उसकी क्षुद्रता ने ही सोहन लाल जी के जिम्मे ये अत्यन्त आक्षेप योग्य उपाधियाँ डलवाई प्रतीत होती हैं।

हमारी बहुत पुरानी मुख्य शिकायत यह है कि निजाम सरकार की झूठ सच की पर्वा न करने वाली पुलीस धर्मान्धता के वशीभूत होकर आर्य्य समाज के विरुद्ध निराधार झूठी बातें घड़ लेती है। सरकार इसकी उपेक्षा करती है। यदि पुलीस की रिपोर्ट हमें प्राप्त होती तो हम अपने आरोपों की पुष्टि में ऐसे अनेक उद्धरण देते जैसे परिशिष्टों में दिए गए हैं। सरकार का कर्त्तव्य यह था कि वह इस बात को समझती कि हमारे आरोप किस प्रकार के हैं तथा उनकी निष्पक्ष जांच कराती। हम बारम्बार निजाम सरकार का ध्यान इस बात की ओर खींचते रहे हैं परन्तु दुर्भाग्य यह है कि हमारे आरोप ही निजाम सरकार ने अपनी सफ़ाई में प्रस्तुत कर दिए हैं। हम निजाम सरकार से निवेदन करते हैं कि वह अपने अफ़सरों के अन्यायों की जांच करके आर्य समाज के प्रति न्याय करे परन्तु निजाम सरकार उन्हीं आरोपों को अपनी सफ़ाई में पेश करती है ? कैसी विडम्बना है।

अपनी पुलीस की ईमानदारी और सच्चाई पर सन्देह करने का सरकार के पास कोई हेतु नहीं है, यह बात भी सत्य नहीं है। हमने हैद्राबाद की पुलीस के डाइरेक्टर जनरल श्रीयुत ऐस० टी० हौलिन्स की 'कल्याणी की तहकीकात की रिपोर्ट इन पृष्ठों में अन्यत्र दी है। हम श्रीयुत हौलिन्स की सदाशयता और उदारता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते हैं। हम उनके आभारी हैं। उन्होंने सच्चाई पर पहुँचने की पूरी कोशिश की है। रिपोर्ट के पढ़ने पर पाठकों को विदित होगा कि हमारे ७५ प्रतिशतक आरोपों की पुष्टि होती है। कुछ मामलों अर्थात नागप्पा के क़त्ल के सम्बन्ध में श्रीयुत हौलिन्स का हमसे मत-भेद है और वह भी पुलीस के तैयार किए हुए कागजों के आधार पर। दो या तीन मामलों में अपराध को पूर्णतया सिद्ध करने के लिए उन्हें पर्याप्त शहादतें नहीं मिलती हैं और वे अमन सभाओं का निर्माण कराके झगड़े को येन केन ख़तम करा देने तक ही अपने को सीमित रखते हैं।

यह दुःख की बात है कि निजाम की आम पुलीस अपने उच्च अधिकारी के श्रेष्ठ उदाहरण से प्रकाश ग्रहण नहीं करती है और न निज़ाम सरकार ऐसा कराने की पर्वा करती है अन्यथा यह कैसे सम्भव था कि श्रीयुत हौलिन्स की रिपोर्ट की मौजूदगी में अपनी पुलीस की करतूतों पर निज़ाम सरकार विश्वास करके बैठ जाती और अन्य मामलों में जांच न कराती जब कि इतना अधिक आन्दोलन हो रहा हो। निष्पक्ष रीति से लिखी हुई पुस्तक में कल्याणी की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट का अवश्य ही एक पृथक् परिशिष्ट होता परन्तु इस रिपोर्ट से लेखक का उद्देश्य पूरा न होता इसीलिए सहज ही उसकी उपेक्षा कर दी गई है।

उक्त निज़ाम की स्टेट में उचित आलोचना के लिए चाहे वह धार्मिक हो या राजनैतिक, कोई स्थान या सम्मान नहीं देख पड़ता है। लेखक ने कई ऐसे उद्धरण दिए हैं जो संसार के किसी भी सभ्य भाग में 'सम्मतियां' ही समझी जातीं। उदाहरण के लिए 'यह असम्भव था कि ईसा बिना बाप के पैदा होता'। यह वाक्य पं० चन्द्रभानु जी द्वारा कहा हुआ प्रगट किया गया है। इसे उद्धृत करने में लेखक का यह विचार होगा कि वह समस्त ईसाई-जगत् के क्रोध को उत्तेजित कर देगा। उसे पता नहीं है कि स्वयं कई अत्यन्त सम्मानित ईसाईयों का यही मत है, और अंग्रेजी साहित्य में ऐसी मूल्यवान् और प्रसिद्ध पुस्तकों की कमी नहीं है जिनका खूब प्रचार है और जो विषय का पूरी तरह से प्रतिपादन करती हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के किसी विद्वान् प्रोफेसर से पूछें और वह इस सच्चाई की पुष्टि करेगा इसी प्रकार 'इस्लाम के पैग़म्बर का पिता हिन्दू जाति का था' (स्वामी चिदानन्द पृष्ठ ७) क्या मुसल्मानों का यह मत नहीं है कि पैग़म्बर के पूर्वज मूर्ति पूजक थे और मूर्ति पूजा का अन्त करने वाले अपने खान्दान में वह पहले ही व्यक्ति थे।

इसी प्रकार स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने कहा "वे हैदराबाद में केवल इस लिए सत्याग्रह नहीं कर रहे हैं कि शासक मुसल्मान है।" (फ्री प्रेस जनरल २-१२-३८) (पृष्ठ सं० ६) समझ में नहीं आता कि इसमें क्या आपत्ति जनक है। इस वाक्य के बिल्कुल पास वाला वाक्य चालाकी से छोड़ दिया गया है? क्योंकि वह आर्य्य समाज की पोजीशन को साफ़ कर देता। स्वामी जी का सीधा सीधा आशय यह था कि हमारा आन्दोलन इसलिए नहीं चलाया गया है कि

हैद्राबाद का शासक मुसल्मान है वरन् इस लिए चलाया गया है कि हमें राज्य में धार्मिक कठिनाइयां हैं। यदि राजा हिन्दू होता और हमें उसके राज्य में यही कठिनाइयां होती तो हम वहां भी ऐसा ही करते। यह कैसी युक्ति संगत बात है? परन्तु द्वेष से अन्धे हुए व्यक्तियों के मार्ग में 'तर्क' बाधक नहीं होता है।

हमारे भजनों का कैसा ग़लत तर्जुमा किया गया है। यह दिखलाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मूल भजन इस प्रकार है:—

दयानन्द के वीर सैनिक बनेंगे।
दयानन्द का काम पूरा करेंगे॥
मिटायेंगे सब सम्प्रदायों के मत को।
बनायेंगे हम आर्य्य सारे जगत् को॥

यह भजन बरसों से गाया जा रहा है और नवयुवकों को यह बहुत प्रिय है। कहीं भी और कभी भी इस पर जरा भी आपत्ति नहीं की गई है और न आपत्ति के लिए कोई कारण ही है। पंक्ति का वास्तविक अनुवाद इस प्रकार होगा:—

"हर प्रकार की साम्प्रदायिकता के विचार को हम नष्ट कर देंगे।" परन्तु पुस्तक का लेखक हमारा योग्य मित्र इसके स्थान में यह प्रस्तुत करता है:—

"हम सब धर्म्मों को नष्ट कर देंगे"

इस रीति से वह यह दिखलाता है कि हमारा उद्देश्य 'इस्लाम' पर प्रहार करना है और वह भी हैद्राबाद राज्य में। मत-मतान्तरों और संकुचित साम्प्रदायिकता के तुच्छ मत-भेदों को दूर करने के यत्न द्वारा मानव-समाज को एकता के सूत्र में बांधने के भजन के उच्च और प्रशंसनीय उद्देश्य का आजतक न ऐसा अशुद्ध अर्थ हुआ है और न प्रकट किया गया है।

हमारा मित्र इस उद्देश्य से कि आर्य समाज की प्रगतियों का उज्ज्वल पक्ष काला देख पड़े, बहुत से उद्धरण प्रस्तुत करता है। इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने में न वह सफल हो सकता है और न सफल होगा।

अन्य स्थानों की पुलीस भी आमतौर पर व्याख्यानों को ग़लत समझती है, उनकी ग़लत रिपोर्ट करती है और उनका ग़लत तर्जुमा करती है परन्तु उदार अधिकारियों को मालूम होता है कि पुलीस की कमजोरियों को कितनी छूट दी जानी चाहिए। परन्तु यहां की तो माया ही और है। परमात्मा जानता होगा कि राज्य की इस प्रकार की सेवाओं के उपलक्ष में कितने पुलीस अफ़सरों को तरक्की

मिलती होगी और ग़रीब आर्य समाजियों के मूल्य पर अपनी सरकार की योग्यता पूर्वक पैरवी करने के लिए निश्चय ही हमारे योग्य और 'निष्पक्ष' लेखक को विशेष सम्मान प्राप्त होगा।

पृष्ठ २ पर लेखक शिकायत करता है कि आर्य्य समाजियों की विनाशक और आपत्तिजनक प्रगतियों में अख़बारों और पुस्तकों के रूप में निरन्तर ऐसे साहित्य की वृद्धि हो रही है जिनमें राज्य और अन्य धर्म वालों पर भयंकर हमले होते हैं। परन्तु हमारे मित्र ऐसे साहित्य की कोई मिसाल पेश नहीं करते हैं जिस पर हैद्राबाद से बाहर आपत्ति की गई हो—अथवा ज़ब्त किया गया हो। निस्सन्देह भारतवर्ष के दूसरे भागों में बहुत से धर्मों के अनुयायी रहते हैं और यदि उन पुस्तकों मे जहां वे तय्यार होती हैं वे पुस्तकें ज़ब्त किए जाने योग्य नहीं समझी जाती हैं तो यह कैसे हो सकता है कि वही साहित्य हैद्राबाद में निकम्मा बन जाय। क्या इसका कारण निज़ाम की पुलीस की विचित्र मनोवृत्ति नहीं है जो धर्मान्धता और संकुचित साम्प्रदायिकता पर फलती फूलती है ?

दूर से देखने वाला कदाचित् यह सोचेगा कि निज़ाम सरकार की कड़ी निगरानी किसी धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करने देती है। परन्तु बात यह नहीं है। मुसल्मान लेखक कुछ भी लिख सकते हैं। मुसल्मान व्याख्याता कुछ भी बोल सकते हैं और मुस्लिम आन्दोलनकारी किसी भी आन्दोलन में भाग लेकर दंड से बच सकते हैं। सरकार के किसी विभाग का उच्च अधिकारी तक अपनी सरकारी हैसियत मे अपने दफ्तर से उत्तेजना उत्पन्न करने वाली सामग्री जारी कर सकता है और वही सामग्री प्राइवेट व्यक्ति के मामले में आक्षेप योग्य बन जाती है। इन तथा कथित निष्पक्ष और बेदाग़ क़ायदे क़ानूनों की तलवार केवल आर्य समाजियों के सिरों पर ही लटकने के लिए है। हम अपने इस कथन की पुष्टि कतिपय प्रासंगिक अवतरणों से करेंगे।

१—अछूतों का कल्याण इस्लाम ग्रहण करने में ही है · मूर्ति पूजा की ग़लाज़त से उन्हें अपनी रक्षा करने देनी चाहिए (रहबरे-दकन२०-४-१९३३)

२—जबतक संसार से वेदों और मनुस्मृति की शिक्षाएँ लुप्त नहीं करदी जाती हैं (रहबरे-दकन ३० तिर०······ ···१३४२ फसली)

३—विद्रोहियों की सभा का जो विस्तृत वर्णन दिया गया है वह राजभक्तों के लिए अत्यन्त दुखजनक है। यह बहुत २ ज़रूरी है कि इस जगह के बदमाशों को

मजलिस में आने का मौक़ा न दिया जाय। (रहबरे-दकन १०-११-१९३८ औरंगाबाद में गोरक्षा सम्बन्धी एक सभा की कार्यवाही पर)

४—कोई आश्चर्य नहीं है कि अदालती धर्म का जज्बा फिर जोर शोर के साथ नुमाया (आविर्भूत) हो गया है। (रहबरे-दकन २५ अबूर १३४८ फ़स्ली)

५—आन्दोलनकारी नमकहरामों और ईमानफ़रामोशों के साथ मिल गए हैं। (साहिफ़ा ४ फ़ारवर्दी १३४१ फ़स्ली)

६—जबतक वेद और मनुस्मृति संसार से लुप्त नहीं कर दिये जाते हैं तबतक महात्मा जी का अनशन अस्पृश्यता का अन्त नहीं कर सकता है (रहबरे-दकन ४-६-१९३३)

७—अपने हाथ में कानून को लेने और पंडित का क़त्ल करने का मरहूम अब्दुल कय्यूम को अधिकार न था। परन्तु चूँकि पैग़म्बर की तौहीन करने वाले आदमी के लिये मुस्लिम ला (कानून) सजाए मौत ठहराता है। मौलवी अब्दुल क़य्यूम ने पंडित का क़त्ल करके पैग़म्बर के प्रति अपने प्रेम का सबूत दिया है। (रहबरे-दकन २२ अर्दे बहशत १३४४ फ़स्ली)

नोट—पैग़म्बर के इन प्रेमियों की ओर देखो। यदि ऐसे प्रेमी बहु संख्या में हों तो ग़ैर मुस्लिमों के लिए संरक्षण कहाँ ?

८—दीनदार अंजुमन आसफ़नगर हैदराबाद दक्षिण के सदस्यों की ओर से उर्दू में प्रकाशित हुआ एक विज्ञापन है जिसमे चन विशेश्वर सिद्दीक़ दीनदार की प्रगतियों का इन शब्दों में वर्णन किया गया है:—

चन विश्वेश्वर अवतार (नबी) के नाम का ढोल पीटेगा। दिसम्बर.........
को हाम्पी में एक सभा होगी। इसके बाद वे वेंकट रामा के मन्दिर पर धावा बोलेंगे और ८० करोड़ का खजाना निकालेंगे। वहाँ से वे हाम्पी वापस आकर उस धन से १०१ जातियों को मिलायेंगे। उस दिन से पत्थरों की पूजा लुप्त हो जायगी और मन्दिरों से मूर्तियाँ निकाल कर फेंक दी जायँगी।"

९—सिद्दीक दीनदार के आसफनगर के व्याख्यानों के कतिपय अवतरणः—

(अ) मुसलमानों याद रक्खो! जो कोई तुम्हारे धर्म, नबी और परमात्मा की निन्दा करे और जो कोई तुम्हारे मजहब को नेस्त नाबूद करना चाहे उसे कभी मत छोड़ो और अल्लाह (परमात्मा) के नाम में युद्ध करो। (२४-१२-३१)

(ब) जो तुम्हारे विरोधी (दुश्मन) हों और जो कोई तुम्हारे मजहब की

निन्दा करे, ऐसे काफ़िरों को क़त्ल करदो। (२४-१२-३१)

(स) दुनिया में जितने भी काफ़िर (नास्तिक) हैं वे सब मुसलमानों के दुश्मन हैं। क्या वे हमारे दोस्त हैं? जबतक वे मुसलमान न बन जायँ तबतक हरगिज़ हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं (२५-१२-३१)

(द) हमारे क़ुरान में ५०० आयतें हैं जो दुश्मन पर विजय प्राप्त करने काबू पाने और क़त्ल करने का वर्णन करती हैं। तुम उनसे क्यों डरते हो? (२६-१२-३१)

(च) तुम्हारे अनुयायियों को आर्य्य और ईसाई उड़ा ले गए हैं। एक तरफ शुद्धि की तहरीक है तो दूसरी तरफ़ संगठन का बवंडर है। आज मुसल्मान की जान को हज़ारों आफ़तें हैं। (२६-१२-३१ को पढ़ी गई एक कविता)

(१०) महकमे नज़ामत उमूर मज़हबी महरूसे सरकार आली के १२ अबान निशान ३६५४, १३२४ फ़सली के ऐलान के अवतरण जो निज़ाम सरकार के धर्म विभाग के मुहम्मद अकरामउल्लाखाँ के दस्तख़तों से जारी हुआ था:—

(अ) काफ़िरों का क्या नतीजा होगा यह स्पष्ट हो जायगा।

(ब) ख़ुदा के फ़ज़ल से हम मोमिन हैं जिन्दा रहते हुए हम ग़ाज़ी और मरने पर शहीद होते हैं।

(स) आर्य्य समाजी हिन्दुस्तान की तमाम क़ौमों को मिलाकर, हर एक क़ौम के लीडर का दमन करके और पवित्र पुस्तक (क़ुरान) को जलाकर अपना मतलब निकालना चाहते हैं।

(द) एक तरफ़ तो लिंगायत लोग दुनिया से गोश्त ख़ोरी (मांस भक्षण) को मिटा देना चाहते हैं और दूसरी तरफ़ प्रत्येक लिंगायत गले में पत्थर का लिंग (अपना धार्मिक चिन्ह) लटकाए होता है।

(य) धार्मिक शान्ति को बनाये रखने के लिए यह ज़रूरी है कि कुछ हद तक रक्त पात किया जाय। इस्लाम की परिभाषा में यह जिहाद कहलाता है।

(क) ऐ मुसल्मानों! जिहाद तुम्हारा एक फ़र्ज़ है जिस तरह रोज़ा, इबादत हज और ज़कात हैं।

नोट—सर अकबर हैदरी जो बाहरी दुनिया के सामने असाम्प्रदायिकता का ढोल बजाते नहीं थकते हैं सरकारी फ़रमान के इस अंश को पढ़ें। ठीक है हाथी के दाँत खाने के और होते हैं और दिखाने के और।

तीसरा अध्याय

हमारी मुख्य शिकायतें मोटे तौर पर तीन शीर्षकों के अन्तर्गत हैं:—

(१) कुछ क़ायदे और कानून जो धर्म्म और शिक्षा सम्बन्धी कार्य्यों पर अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाते हैं।

(२) इन क़ायदे क़ानूनों के व्यवहार में पक्षपात।

(३) विशेष उदाहरण जिन में सम्बन्धित अधिकारियों ने ग़ैर सरकारी मज़हबी दीवानों यथा खाकसार और अन्यों के आक्रमणों से रक्षा नहीं की।

(अ) संख्या १—के क़ायदे-क़ानून धर्म्म-स्थानों के निर्माण, जीर्णोद्धार और उनकी रजिस्ट्री से सम्बन्धित हैं।

(ब) अखाड़ों की रजिस्ट्री।

(स) प्राइवेट स्कूलों के खोलने के लिए पहले से स्वीकृति लेना और उन्हें रजिस्टर्ड कराना।

सरकारी पुस्तक इस आरोप से इनकार नहीं करती है। वह इनकार कर भी नहीं सकती है। नियम मौजूद हैं। वे पुस्तक के संख्या १०, ११ और १२ के परिशिष्ट हैं। स्पष्ट तौर पर लेखक की सफाई यह है कि वे व्यवस्था और शान्ति के लिये अनिवार्य्य हैं। ऐसे नियम किसी भी सभ्य सरकार में नहीं हैं, कम से कम ब्रिटिश-भारत में भी नहीं हैं। निजाम की प्रजा, इस सम्बन्ध में अन्य प्रजाओं से किस प्रकार भिन्न है, यह पुस्तक में नहीं बतलाया गया है। मनुष्य का स्वभाव हर जगह एक जैसा है। निस्सन्देह सरकारों की मनोभावनाओं में भेद होता है। सभ्य सरकारों का सिद्धान्त यह होता है कि प्रत्येक आदमी भला होता है जब तक उसके अन्यथा होने के प्रमाण न हों। निज़ाम सरकार का मत यह है कि प्रत्येक आदमी शरारती, साम्प्रदायिक अथवा कुचक्री है जब तक वह अपने भलेपन (साम्प्रदायिकता) का सबूत न दे दे।

प्रत्येक छोटी सी रुकावट के लिए बहाना 'सार्वजनिक शान्ति और सुव्यवस्था' की रक्षा है। इस पर भी तुर्रा यह है कि यह दावा किया जाता है कि 'प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकारी है"। संसार में अन्यत्र कहाँ ऐसी संगति देखने को मिलती है। प्रतिबन्ध इतने ज़्यादा और इतने घृणित हैं कि स्वाभिमान

और उत्तरदायित्व की भावना विकसित नहीं हो सकती है। सन्देह की तलवार प्रजाजनों के सिर पर तय्यार रहती है। निज़ाम के शासन में क्या आन्तरिक ख़राबी है जिस की वजह से अधिकारी सदैव कुचक्र अथवा अशान्ति से भयभीत रहते हैं? ज़रा उस विश्वास की कल्पना तो करो जो निज़ाम की सरकार अपने प्रजाजनों में स्थापित कर सकी है कि १५-१६ लड़कों की छोटी सी पाठशाला और अखाड़ों के अस्तित्व से डरती है जहाँ थोड़े से आदमी शारीरिक व्यायाम के लिए एकत्रित होते हैं। यदि आप कहें कि सरकार स्वास्थ्य सम्बन्धी अवस्थाओं के विषय में बहुत चिन्तित है और इसी वजह से कड़ी निगरानी रखती है तो हम पूछते हैं क्या इस चिन्ता-शीलता का घटनाओं और अङ्कों से समर्थन होता है? क्या सरकार ने इतनी अधिक सरकारी संस्थाएँ खोल रक्खी हैं कि प्राइवेट संस्थाओं का खोला जाना व्यर्थ है? निश्चय ही नहीं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि साक्षरों की संख्या सन्तोषजनक है। ऐसी अवस्था में प्रतिबन्ध का सिवा इसके और क्या अर्थ हो सकता है कि सरकार नहीं चाहती है कि लोग शिक्षित बनें। क़ायदे और क़ानूनों की केवल रट लगाने से पुस्तकों के आकारों में वृद्धि हो जाती है और वह रट किसी प्रकार भी आरोपों की गम्भीरता को कम नहीं करती है।

पुस्तक के पृष्ठ ४८ पर दिए हुए ८ और ९ सेक्शन पुलिस अफ़सरों द्वारा अखाड़ों के निरक्षण का ज़िक्र करते हैं। यह निरीक्षण निज़ाम सरकार की विचित्र मनोवृत्ति का स्पष्ट सूचक है। संसार भर में पुलिस संदेहशील बदनियत के लिए बदनाम है। इसका वास्ता अपराधों से पड़ता है और स्वभावतः यह सदेहशील बन जाती है। निरीक्षण का कार्य पुलिस पर क्यों छोड़ा गया है? इसी लिए न कि अखाड़े जुर्म जैसी वस्तु समझे जाते हैं और सरकार अपनी प्रजा की शारीरिक शक्ति पर हसद (ईर्ष्या) करती है। सेक्शन ८ (ब) इस चिन्ता को स्पष्ट कर देता है जब कि यह प्रगट करता है "राजनैतिक मामलों से किसी तरह का कोई तअल्लुक़ न रखते हों" सेक्शन ९ (अ) पुलीस को अधिकार प्रदान करता है "राजनैतिक कार्य्यों से सम्बन्धित किसी अखाड़े को बन्द कर देना" मानो किसी भी प्रकार की राजनैतिक प्रगतियाँ बुरी हैं और राजनीति तथा कुचक्र (षड्यन्त्र) में कोई भेद नहीं है और प्रत्येक मामले में प्रामाणिकता की निर्णायक पुलीस है।—सेक्शन सं० ४ में जिसके अनुसार अखाड़ों की रजिस्ट्री होती है एक शर्त यह दी हुई है कि 'अखाड़े के सदस्यों के नाम और उन

की संख्या पहले से पेश करनी चाहिए।" नया आने वाला न कुश्ती लड़ सकता है और न कसरत कर सकता है प्रत्येक न्यायप्रिय और निष्पक्ष व्यक्ति कहेगा कि ये नियम न्यूनाधिक रूप में जेल के नियम हैं जो स्वतन्त्र व्यक्तियों के लिए नहीं हैं।

परिशिष्ट १२ में पृष्ठ ६० पर प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्री के नियम दिए हुए हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक सरकार का कर्तव्य होता है कि वह प्राइवेट यत्न को प्रोत्साहित करके शिक्षा प्रसार में योग दे। दूसरी रियासतों में मुक्तहस्त से सहायता दी जाती है और यदि सहायता की जरूरत नहीं होती है तो सरकार शिक्षा कार्य्य करने वाले व्यक्तियों और सोसाइटियों का बड़ा अहसान मानती है। परन्तु निजाम की सरकार अपनी प्रजा को निरक्षर रखना पसन्द करती है परन्तु यह पसन्द नही करती है कि वह प्रजा को शिक्षित और इस प्रकार स्वतन्त्र बनने देने की जोखिम अपने ऊपर लेवे। पुस्तक में एक मात्र यह बहाना पेश किया गया है 'निजाम महोदय की सरकार की इच्छा यह देखने की है कि समस्त शिक्षा-संस्थाएँ शिक्षा और स्वास्थ्य के स्वीकृत उसूलों के अनुसार चलें।" पृष्ठ ६० (पंक्ति ६-८) इस 'इच्छा' का फल यह हुआ है कि २१७१ प्राइवेट स्कूल बन्द हो गए हैं और हजारों बच्चे उस थोड़ी बहुत शिक्षा से वंचित हो गए हैं जो उनके माता पिता कोआप्रेटिव प्रणाली पर उन्हें दे सकते थे। प्राइवेट स्कूलों के सम्बन्ध में १३२४ फस्ली में नियम बने थे। उस समय ४०५३ स्कूल थे। १३४६ फस्ली में उनकी संख्या १०८२ रह गई। सरकार को बंधे हुए कर अदा करने के साथ साथ प्राइवेट खर्च पर प्राइवेट संस्था का चलाना बच्चों का खेल नहीं है। और अब सरकार अनावश्यक रीति से इतने कठोर प्रतिबन्ध लगा देती है तो वह कार्य्य आक्षेप योग्य बोझ बन जाता है। यदि सरकार बच्चों की शिक्षा कार्य्य के कर्तव्य को स्वयं अपने ऊपर लेना नहीं चाहती है तो कम से कम अपने प्राइवेट व्यय पर बच्चों को पढ़ाने से माता पिताओं को नहीं रोकना चाहिए। परन्तु निजाम सरकार इतनी उदार और प्रजावत्सल है कि उसे स्वास्थ्य और शिक्षण का या तो आदर्श स्टैण्डर्ड स्थापित करना चाहिए या बच्चों को नितान्त निरक्षर रखना चाहिए। इन सब नियमों के भीतर काम करने वाली भावना का पता लगाना कठिन नहीं है। और इससे जो परिणाम

पैदा हुए हैं उनसे आसानी से उसकी पुष्टि हो सकती है। सेक्शन १२ (पृष्ठ ६१) अधिकार देता है।

"अधिकारी लोग मौजूदा किसी भी स्कूल को बन्द कर सकते हैं"। सेक्शन १३ डाइरेक्टर आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन और डिविजनल इन्सपेक्टरों को संस्थाओं की सहायता करने की आज्ञा देते हैं केवल उसी समय तक 'जब तक उनके पास शिक्षा सम्बन्धी, सामाजिक, नैतिक वा राजनैतिक किसी भी दृष्टि से उनके अस्तित्व को हानिकारक समझने के कारण न हों।" निजाम की सरकार खुले तौर पर कितनी उदार है! वह माता पिताओं को करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती है। यह अशिक्षा और अज्ञान के खतरे को महसूस नहीं करती है पर यह भी नहीं देखती है कि शिक्षा का अभाव न केवल समाजिक और नैतिक दृष्टि से हानिकारक है वरन् राजनैतिक दृष्टि से भी बहुत खतरनाक है।

धार्मिक स्वतन्त्रता का वर्णन करते हुए (परिशिष्ट १० पृष्ठ ५४) पर वही पुरानी कथा कही गई है। पुस्तक बिना तारीख के एक फरमाने मुबारक का उल्लेख करती है। प्रत्येक धार्मिक कृत्य के लिए 'जिसमें किसी जाति या धर्म्म के सार्वजनिक और धार्मिक किस्म के समस्त जलूस, अनुष्ठान और सभाएँ सम्मिलित हैं। (पंक्तियाँ १६-२०) पहले से नोटिस देना आवश्यक है। (पृष्ठ ५४) परन्तु ये नियम, धार्मिक जलूसों, सभाओं और कृत्यों पर लागू नहीं होते हैं जिनमें जनता शामिल की जाती है परन्तु उनपर लागू होते हैं जो किसी मकान में हो चाहे वह सार्वजनिक हो या खानगी हो, ।" (पृष्ठ ५५) क्या इसका यह अर्थ है कि मकान के भीतर तो सभाएँ करने की इजाजत है परन्तु मकान के भीतर सहन में शामियाने के नीचे करने की इजाजत नहीं है ? इन नियमों के अधूरे और ढीलेपन से आफिसरों को बचाव के अनुचित मार्ग तथा अपनी मर्जी से लोगों को तंग करने के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इन नियमों के उजड्डपन तथा उनके व्यवहार से आर्य्य समाज को काफी से अधिक कटु अनुभव हो चुका है। अन्य सरकारों का आम नियम यह होता है कि मन्दिरों, स्कूलों, अखाड़ों अथवा प्राइवेट घरों पर पुलीस की निगरानी रक्खी जा सकती है बशर्ते इस सन्देह के पर्य्याप्त कारण हों कि उनमें जुर्म कराए जाते हों। परन्तु हैद्राबाद में पुलीस को खुली छुट्टी मिली हुई है उसकी पूर्व्व से ही यह कल्पना है कि कहीं भी राजनैतिक कीटाणु पैदा हो सकते हैं अतः पहले से ही निगरानी जरूरी है।

इसके बाद एक बड़ी खतरनाक चीज है जिसकी सहज ही उपेक्षा नहीं हो सकती है। यह तथा कथित धर्म्म विभाग (सीग़ाए उमूरे मज़हबी) है (देखो सेक्शन ६ पृष्ठ ५५) जो समस्त धार्मिक संस्थाओं का नियन्त्रण करता है परन्तु जिनका इस विभाग में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। वर्तमान काल में मज़हबी शासन अत्यन्त निकृष्ट शासन समझा जाता है और कतिपय शताब्दियों के अत्यन्त शोक पूर्ण अनुभवों के बाद समस्त सभ्य देशों में 'मज़हब' और 'हकूमत' अलग अलग कर दिए गए हैं। यहाँ हैदराबाद में धर्म्म विभाग को दूसरे धर्म्मों के ऊपर पूर्ण प्रभुत्व प्रदान कर दिया गया है। और इस रीति से अन्य धार्मिक संस्थाएँ मुस्लिम मज़हबी दीवानों की दया पर आश्रित हैं। यह असूल ही ग़लत भावना पर अवलम्बित है और कुदरतीतौर पर हिन्दुओं और अन्य ग़ैर मुस्लिमों के हृदयों में असन्तोष पैदा करने वाला है नियम जो शक्तियाँ प्रदान करते हैं उनसे ही खतरे की पूर्व से कल्पना की जासकती है। पृष्ठ ५५ पर बारीक टाइप में दिया हुआ एक नोट है जिसमें 'स्थानीय अधिकारी' को सुझाया गया है कि 'वह उस अधिकार का दुरुपयोग करके जो यह नियम उसे प्रदान करता है निज़ाम साहब की प्रजा की धार्मिक स्वतन्त्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचे।" हमने जान बूझकर उपर्युक्त पंक्तियों के नीचे रेखा खींची है। इस बात की क्या गारंटी है कि इस प्रकार से दिए हुए अधिकार का दुरुपयोग नहीं हुआ है और न आगे होगा ? क्या केवल उपदेश और सुझाव से काम चल जायगा ? इससे पूर्व हमने धर्म्म विभाग की एक गश्ती नं० ६४५४ तिथि १२ अबन १३२४ फस्ली के अवतरण दिए हैं। इससे साफतौर पर 'विभाग' की ज़हीनयत मालूम हो जाती है। आर्य्य समाजियों को इसके हाथों यदि अनेक कष्ट सहन करने पड़े हैं तो इसमें कोई आश्चर्य्य की बात नहीं है।

चतुर्थ अध्याय

श्रीयुत हौलिन्स की 'कल्याणी' की रिपोर्ट

हमारी दूसरी शिकायत यह थी कि नियम चाहे वे उचित हैं या अनुचित हैं, सब लोगों पर लागू हैं चाहे वे किसी धर्म्म या जाति के क्यों न हों। परन्तु उनके व्यवहार में बहुत पक्षपात किया जाता है। पुस्तक के लेखक ने इस आरोप से सर्वथा इनकार किया है। परन्तु घटनाओं और अंकों से वह अपनी सफाई की पुष्टि नहीं कर सका है। वास्तव में उसने गम्भीर और आवश्यक बातें छोड़ी हैं और इसका कारण सिवा इसके कि वे जान बूझ कर छोड़ी गई हैं और कोई नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए पृष्ठ ४ पर वह तहकीक़ात का जिक्र करता है जो सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्रीयुत घनश्यामसिंह जी के निर्देश पर पुलिस के डाइरेक्टर जनरल श्रीयुत हौलिन्स के द्वारा कतिपय शिकायतों की गई थीं। श्रीयुत हौलिन्स की रिपोर्ट एक महत्व पूर्ण दस्तावेज़ है क्योंकि इस में हैद्राबाद स्टेट के आर्य्य समाजियों का शिकायतों की इस समय तक शायद यही एक प्रामाणिक तहकीकात दर्ज है और इसका एक पृथक् परिशिष्ट होना चाहिए था। परन्तु चूंकि इस से आर्य्य समाज के बहुत से आरोपों की पुष्टि होती है इसलिए इसकी ओर संकेतमात्र कर दिया गया है और महत्व पूर्ण बातें आसानी से छोड़ दी गई हैं। पुस्तक के पृष्ठ संख्या ४ पर लेखक शिकायत करता है कि "स्मरण कराए जाने पर भी श्रीयुत विनायक राव ने इस समय तक श्रीयुत हौलिन्स की शिकायतें लिख कर नहीं भेजी हैं और न सरकार के निमंत्रण से लाभ उठाया है" परन्तु श्रीयुत हौलिन्स अपनी इस रिपोर्ट के पृष्ट १ पर साफ़ तौर पर स्वीकार करते हैं कि 'मेरी तहकीक़ात में शुरू से आखीर तक विनायक राव जी ने आर्य्य समाज का प्रतिनिधित्व किया और श्री. इस्माइल खां कल्याणी के मुसलमानों की ओर से तहकीक़ात की देख-भाल करने के लिए नियत थे" कल्याणी आर्य्य समाज के सदस्यों की ओर से जगीर के श्री० वंशीलाल जी वकील ने श्री हौलिन्स जी के पास जो आरोप लिख कर भेजे थे, उनकी सत्यता पाठक स्वयं श्री हौलिन्स के शब्दों में सुनें।

आरोप सं० १—आर्य्य समाज के मंत्री श्री० मोहनसिंह को पुलिस

इन्सपैक्टर ने पीटा और सार्वजनिक सड़क पर गाली देने के अपराध में उस पर अब मुक़द्दमा चलाया जा रहा है।

श्रीयुत हौलिन्स की जांच का परिणाम—कल्याणी आर्य्य समाज के मंत्री मोहनसिंह को कल्याणी के सब इन्सपेक्टर मुश्ताक अहमद ने अबन ४,१३४४ फ़स्ली को सुबह ८ बजे के क़रीब गिरफ़्तार किया था। उस पर जुर्म यह लगाया गया था कि उसने सार्वजनिक स्थान पर गालियां दी थीं।

जब मैंने इस मुकदमे की एक रिपोर्ट देखी तो मैंने निश्चय किया कि मोहनसिंह पर मुक़द्दमा चलाने के लिए पर्य्याप्त साक्षी नहीं है और मैंने अर्द्धसरकारी पत्र सं० ११६१–१–४६ तिथि १७–१९–३७ में होम सेक्रेटरी को मुक़द्दमा वापस लेने की सिफारिश की। मेरे कल्याणी हो आने के पश्चात् मुक़द्दमा वापस ले लिया गया था।

मोहनसिंह का बयान है कि जब अबन ४,१३४६ फ़स्ली को कल्याणी में उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो सब इन्सपेक्टर मुश्ताक अहमद ने उन्हें पीटा था। वे यह भी बयान करते हैं कि जब वे पुलिस स्टेशन (थाने) पर ले जाए गए थे तब सब इन्सपेक्टर और एक हैड कान्सटेबिल ने उन्हें लात और घूंसे मारे थे।

जिस दिन वे गिरफ़्तार हुए उस दिन शाम को जब मुंसिफ के सामने पेश किए गए थे तो उन्हों ने गिरफ्तारी के वक्त तथा बाद में थाने में हुए दुर्व्यवहार की उन से कोई शिकायत नहीं की थी। मोहनसिंह ने मेरे सामने स्वीकार किया कि मार-पीट से उनके कोई चोट नहीं लगी थी। यदि मैं यह देखता कि तहकीक़ात से कोई तत्व की बात मालूम होगी तो मोहनसिंह के प्रति पुलिस के दुर्व्यवहार के आरोपों की पूरी पूरी तहकीक़ात करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। लगभग एक वर्ष हुआ जब मोहनसिंह की गिरफ़्तारी हुई थी और जब वह गिरफ़्तार हुए थे तब उन्होंने यह शिकायत नहीं की थी कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। मुझे यह अविश्वसनीय मालूम होता है कि पुलिस ने कल्याणी में गिरफ़्तार करते वक्त मोहनसिंह को मारा हो और यदि मार-पीट की अब कोई शहादत आती है तो पुलीस के विरुद्ध महकमाना कार्य्यवाही किए जाने का औचित्य सिद्ध करने के लिए उसमें पर्य्याप्त-बल न होगा। पुलीस स्टेशन में उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उसके गवाह पुलीस अफसरों तथा अन्य आदमियों के सिवा जो उस समय थाने में और कोई न था।

अतः इस आरोप पर मेरी तहक़ीक़ात का फल यह है कि गाली देने के आरोप पर मोहन सिंह पर मुक़दमा नहीं चलाया जाना चाहिए था और उनके पीछे आने के आरोप की पुष्टि नहीं की जा सकती है।" 'पुष्टि नहीं की जा सकती' इन शब्दों को नोट कीजिए।

"आरोप सं० २—इक़रामअली तअल्लुक़ेदार के हुक्म से ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से आर्य्य समाज मन्दिर पर से ओ३म् का झंडा उतार दिया गया था।

तहक़ीक़ात का परिणाम—मुसल्मान लोगों को झंडे पर क्यों आपत्ति थी यह समझना कठिन है। क़स्बे में लगभग ५० मन्दिर और मठ हैं, १४ मस्जिदें हैं। और कई दरगाह और अशूर खाने इत्यादि हैं और इनमें से बहुत से अपने झंडे फहराते हैं। जब मैं कल्याणी में था तो शहर में कम से कम ६० झंडे लहरा रहे थे। अत एव आर्य्य समाज की इमारत का झंडा नई चीज़ होते हुए भी शहर में कोई हल चल नहीं पैदा कर सकता था।

ताल्लुक़ेदार ने कल्पना की होगी कि आर्य्य समाज मन्दिर पर ओ३म् का झंडा फहराए जाने से शान्ति भंग होगी। यदि उसका यही विचार था तो इसका जा भी समर्थन नहीं हो सकता है। उसने कार्य्यवाही में जल्दबाज़ी और ना समझी की थी और इसका परिणाम यह हुआ कि ज्योंही ये बातें सरकार के नोटिस में आईं त्यों ही वह जागीर से हटा दिया गया।

आरोप सं० ३—कई दिन तक मुसल्मानों ने समाज मन्दिर पर पत्थर फेंके और जिन दिनों में पत्थर फेंके जा रहे थे उन्हीं 'दिनों' में आर्य्य समाज मन्दिर पर ३ बार गोलियाँ चलाई गई थीं। यद्यपि पुलीस को इत्तिला दी गई थी तथापि न तो पंचनामा भरा गया और न कोई गिरफ्तारी की गई।

तहक़ीक़ात की मालूमात—आर्य्य समाज के सदस्य निश्चित तारीख़ नहीं बता सके कि कब मुसल्मानों ने उनके उपासना मन्दिर (इबादतगाह) पर पत्थर फेंके थे। न वे यह ठीक ठीक बतला सके कि मन्दिर पर कब बन्दूकें चलाई गईं। सबइन्सपेक्टर मुश्ताक़ अहमद ने मेरे सामने बयान दिया कि मुसल्मानों ने तो पुलीस से एक लिखित शिकायत की थी परन्तु मुसल्मानों द्वारा पत्थर फेंके जाने की शिकायत मोहनसिंह ने ज़ुबानी की थी। अतः मोहन सिंह की रिपोर्ट पर उन्होंने कोई कार्य्यवाही न की। यद्यपि रिपोर्ट मौखिक थी तथापि पुलीस इन्सपेक्टर को इसके

मिलने पर पहली इन्फारमेशन रिपोर्ट जारी करनी चाहिए थी और उसे केस दर्ज करके तहकीकात करनी चाहिए थी।

ऐसा न करके उसने अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं किया। जब मैं कस्बे में गया तो हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ने ही मुझ से शिकायत की कि इस समय भी पत्थर बाजी जारी है। यह युक्ति जो एक दूसरे को भयभीत करने को इख्तियार की गई थी, दोनों पक्षों को पसन्द मालूम पड़ती है। आर्य्य समाज मन्दिर पर गोली चलाए जाने के सम्बन्ध में, यह स्वीकार किया गया है कि बन्दरों को भगाने के लिए कस्बे में प्रायः बन्दूक छोड़ी जाती हैं जो बड़ी संख्या में हैं और लोगों को बहुत तंग करते हैं। मुसलमानों ने मुझ से कहा कि आर्य्य समाज के सदस्यों ने बहुत सम्भवतः यह सोचा होगा कि बन्दरों पर चलाई जाने वाली गोलियाँ समाज पर ही चलाई गई हैं। मेरी सम्मति में ये आरोप और प्रत्यारोप अत्यन्त अनिश्चित हैं और इनके आधार पर मैं यह निश्चय करने में असमर्थ हूँ कि इन आरोपों में कोई सचाई है या नहीं।

आरोप सं० ४—गुरुलिंगप्पा इतना पीटा गया कि उसके सिर में गहरी चोट आई।

तहकीकात का परिणाम—कल्याणी पुलिस ने गुरुलिंगप्पा पर हुए आक्रमण की जांच की थी। परन्तु चूंकि डाक्टरी रिपोर्ट इस आशय की थी कि चोट मामूली थी इसलिए पुलिस ने आक्रमणकारी मुसलमानों के विरुद्ध कोई कार्य्यवाही नहीं की।

आरोप सं० ५—गुरुडप्पा भी पीटा गया था और उसका यज्ञोपवीत तोड़ा गया था।

तहकीकात का परिणाम—गुरुडप्पा को कुछ आदमियों का रुपया देना था और उस झगड़े में ही उसपर आक्रमण हुआ था। झगड़े के दौरान में उसका यज्ञोपवीत टूट गया था। स्थानीय पुलिस को उसने मामले की रिपोर्ट नहीं की थी वरन् गुलबर्गा के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट से उसने शिकायत की थी जिसने आवश्यक कार्य्यवाही के लिए यह मामला कल्याणी की पुलिस को वापस भेज दिया था। पुलिस ने प्रारम्भिक तहकीकात की और इस परिणाम पर पहुँची कि चूंकि यह सिद्ध करने के लिए कि गुरुडप्पा का यज्ञोपवीत जान पूछकर इरादतन तोड़ा गया है सबूत नहीं है, इसलिए उसके आक्रमणकारियों पर आसफजाही दंड विधान की धारा सं० २६५ के आधीन मुकदमा नहीं चलाया जा सका। यदि मुझे यह निश्चय होजाता कि गुरुडप्पा

की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए इरादतन उसका यज्ञोपवीत तोड़ा गया है, तो मैं उन पर मुक़दमा चलाने का आर्डर देता। परन्तु इरादे के सबूत के अभाव में मुक़दमे का चलाया जाना मैं अनावश्यक समझता हूँ।

आरोप सं० ६—दो मुसलमान सज्जनों ने अपनी मर्जी और रज़ामन्दी से आर्य्य धर्म्म स्वीकार किया। कोरहल्ली में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके पीटा। कोरहल्ली के मामले मे कुछ आर्य्य समाजियों के विरुद्ध चलाए गए एक मुक़दमे में झूठी शहादत दिलाने के लिए पुलिस आफ़ीसर ने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया।

तहक़ीकात का फल—उपर्युक्त दोनों व्यक्ति अर्थात् पथरु साहब का पुत्र राम और महताब साहब का पुत्र लक्ष्मण मेरे सामने हाजिर हुए और कहा कि दो माह का अर्सा हुआ कोरहल्ली की पुलिस चौकी पर पुलिस सब इन्सपेक्टर मुशताक़ अहमद ने उन्हें पीटा था। लक्ष्मण ने बतलाया कि सब-इन्सपेक्टर ने उसके ठोकर मारी थी और राम ने यह कहा कि उसके ठोकर भी मारी गई थी और चमड़े से मढ़े हुए एक डंडे से भी उसे पीटा गया था। उन्होंने यह भी बतलाया कि सब-इन्सपेक्टर उन्हें कल्याणी ले गया और अपने घर मे रक्खा और उन्हें कहा कि उन्हें गांव में भ्रष्ट हुए एक क़ब्रिस्तान के मामले मे गवाही देनी होगी। राम का बयान है कि वह सब-इन्सपेक्टर के घर में दो दिनतक रक्खा गया था परन्तु लक्ष्मण का कहना है कि वह केवल एक दिन रक्खा गया था। दोनों ताल्लुकेदार के सामने पेश कर के छोड़ दिए गये थे। लक्ष्मण कहता है कि उससे अमानत तलब की गई थी और मोहनसिंह ने जमानत की थी। राम कहता है कि उससे जमानत नहीं मांगी गई थी।

पथरूजी के पुत्र शमशुद्दीन ने मेरे सामने कहा कि पुलीस चौकी पर उसकी मौजूदगी में राम और लक्ष्मण को पीटा गया था। एक पुलीस कान्सटेबिल ने उनके ठोकरें मारी थीं और एक डंडे से उन्हें पीटा था। वे इसलिए पीटे गए थे कि गांव में एक क़ब्र भ्रष्ट की गई थी।

कल्याणी के स्टेशन अफ़सर ने एक फायल मेरे सामने पेश की है उससे मालूम होता है कि राम और लक्ष्मण के पिताओं ने कल्याणी के ताल्लुकेदार को एक सम्मिलित दर्खास्त दी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि आर्य्यों ने उनके पुत्रों का धर्म्म भ्रष्ट किया है और उन्हें ज़बरदस्ती रोक रक्खा है। ताल्लुकेदार ने यह दर्खास्त कल्याणी के स्टेशन अफ़सर को भेज दी और उसे हिदायत की कि मामले की जांच

पड़ताल की जाय। स्टेशन अफसर कोरहल्ली गया और उसे मालूम हुआ कि राम और लक्ष्मण ने अपनी मर्जी से आर्य्य धर्म्म स्वीकार किया है इसलिए वह उन्हें अपने साथ कल्याणी ले आया और ताल्लुकेदार के सामने यह दिखलाने के लिए उन्हें पेश किया कि आर्य्य लोगों ने उन्हें जबरदस्ती गैर कानूनी ढंग से नहीं रोक रक्खा था। स्टेशन अफसर इस बात से इन्कार करता है कि उसने या पुलीस कान्सटेबिल ने उन्हें पीटा या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया था। इस आरोप पर मुझे मालूम हुआ कि सब इन्सपेक्टर मुश्ताक अहमद ने उन्हें नाम मात्र को गिरफ्तार किया था। क्या उसने यह आवश्यक समझा कि उन्हें कल्याणी ले आ कर यह दिखलाने के लिए ताल्लुकेदार के सामने पेश किया जाय कि आर्य्य लोगों ने उन्हें जबरदस्ती नहीं रोक रक्खा था जैसा कि उनके पिताओं ने बयान किया था। यदि पुलीस द्वारा वे पीटे गए होते तो ताल्लुकेदार के सामने पेश होते ही निश्चय रूप से वे इस बात की उससे शिकायत करते। उनके ऐसा न करने और उनके शरीरों पर चोट के निशान न होने से, स्पष्ट रूप से जाहिर है कि तथा कथित मार पीट का आरोप पुलीस के विरुद्ध घड़ा गया था सिर्फ इस लिए कि पुलीस इन्सपेक्टर उन दोनों को ताल्लुकेदार को यह सन्तोष दिलाने के लिए कल्याणी ले गया था, कि आर्य्यों ने उन्हे जबरदस्ती नहीं रोका था। अतः मैं देखता हूँ कि इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है।

आरोप सं० ७—नागप्पा की हत्या। तहकीकात मे वास्तविक बातें छिपा दी गई थीं।

तहकीकात का परिणाम—मैंने उन्हें कहा कि मुकदमे के अदालत में आने से पहले मैंने तमाम शहादत की जांच करली थी और मुझे सन्तोष हो गया था कि कत्ल साम्प्रदायिक नहीं था वरन् इसका कारण सय्यद उमर और नागप्पा में पुरानी दुश्मनी थी।

मैंने श्रीयुत विनायकराव को सूचित किया कि मुझे इस बात का सन्तोष हो गया है कि कत्ल का यह विवरण ठीक है और आर्य्य पत्रों में जो यह बयान छपा है कि मुसलमानों की एक बड़ी जमात ने नागप्पा की हत्या इस लिए की थी कि उसने इस्लाम को ग्रहण करने से इन्कार कर दिया था, बिल्कुल झूठा है। अन्त में मैंने उन्हें कहा कि मामला अदालत में पेश है और पुलीस के हाथों से निकल चुका है।

आरोप सं० ८—नागप्पा की हत्या से कुछ दिन पहले बहुत से आदमी श्री० इस्माइल खां वकील के घर पर जमा हुए। और बिगुल बजा कर सिगनल दिया गया। लग भग ४०० मुसलमान उस घर से रवाना हुए और आर्य्य समाज मन्दिर को घेर कर उन्होंने उस पर पत्थर बरसाए। स्थानीय अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट किए जाने पर, मुन्सिफ उस वकील के घर पर गया और बहुत देर तक उससे बातचीत करता रहा और इसके बाद उसने समाज मन्दिर में जाकर बिना कारण के समाज की तलाशी ली।

तहकीकात का परिणाम—इस अभियोग के सम्बन्ध में मैं जिन परिणामों पर पहुँचा हूँ वे ये हैं। हो सकता है कि कुछ आदमी श्री इस्माइल खां के घर पर इकट्ठे हुए हो परन्तु मुसलमानों की एक बड़ी जमात ने आर्य्य समाज मन्दिर पर धावा नहीं किया न समाज मन्दिर के सामने कोई प्रदर्शन किया और न पत्थरों की आम वर्षा हुई और जब तक यह आशंका न होती कि बहुत से आर्य्य समाजी गैर क़ानूनी उद्देश्य के लिए समाज-मन्दिर में एकत्रित हुए हैं तब तक मुंसिफ को समाज मन्दिर में घुसने का कोई कारण न था।

आरोप सं० ९—जब श्री शंकरराव शिवजी से कल्याणी जा रहे थे तब मुसल्मानों ने उन्हें पीटा और उनका यज्ञोपवीत तोड़ा।

तहकीकात का परिणाम—कल्याणी जागीर के शिवजी नामक ग्राम के पांच व्यक्ति (शंकरराव, गनपतराव, कैलाश, देशरथ, और भगवान्) मेरे सामने पेश हुए और उन्होंने बयान किया कि लग भग १ मास पहले हुमनाबाद से अपने गांव को जाते हुए वे लोग जब कल्याणी से गुजर रहे थे तो दो मुसल्मानों ने उन पर इस लिए हमला किया कि वे आर्य्य समाज के सदस्य थे। उन्हें संगीन चोटें नहीं लगी थीं परन्तु शंकरराव, गनपतराव और कैलाश के यज्ञोपवीत टूट गए थे। इस हमले की रिपोर्ट उन्होंने न तो कल्याणी की पुलीस को की और न अपने ग्राम के पुलीस पटेलको की। गनपतराव और कैलाश ने कल्याणी के अब्बास अली को एक आक्रमणकारी के रूप में पहचाना परन्तु अन्य ३ व्यक्ति हमला करने वाले मुसल्मानों के नाम नहीं जानते थे तो भी पांचों ने बताया कि वे उन्हें पहचान सकते हैं।

मैं समझता हूँ बन्शीलाल जी ने जो सूची मुझे दी है अच्छा होता उसमें जो

यह आरोप निकाल दिया जाता। क्योंकि यह विश्वास नहीं होता है कि आर्य समाज के ५ सदस्यों पर २ मुसल्मान हमला करें और वे मुकाबला न करें।

यदि वे ईसाई-शिक्षा पर आचरण करते और एक गाल पर चपत लगने पर दूसरा गाल भी सामने कर देते तो बाद में वे शिकायत न करते। यह आरोप तुच्छ है और आगे तहकीकात योग्य नहीं।

आरोप सं० १०—एक पुलिस कान्सटेबिल ने कोरहल्ली के एक नाई को बन्दूक से पीटा।

तहक़ीकात का फल—इस में कोई संदेह नहीं मालूम होता है कि कांसटेबिल बंशीलाल जी के घर पर गया और बाल बनाने के लिए साथ आने से इनकार करने पर उसने नाई को अपनी बन्दूक के कुन्दे से मारा।

आरोप सं० ११—कल्याणी तालुका के कोरहल्ली और काल मुगली समाज के विरुद्ध झूठे अभियोग लगाए गए।

तहक़ीकात का फल—कोरहल्ली में एक कबरिस्तान भ्रष्ट किया गया था और कोर मुगली में एक मस्जिद की वेदी (Pulpit) तोड़ी गई थी। पुलिस की तहक़ीकात के फलस्वरूप, पहले मुकदमे में १५ और पिछले में १७ हिन्दुओं पर मुकदमा चला था। जब मैं कल्याणी आया था तो मुंसिफ की अदालत में दो मुकदमे विचाराधीन थे। चूंकि अब कस्बे में अमन सभा स्थापित होगई है और प्रमुख २ हिन्दुओं और मुसलमानों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि वे शांति से रहेंगे और एक दूसरे को तंग करना छोड़ देंगे। इसलिए दोनों जातियों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के अपने यत्नों को जारी रखने के फलस्वरूप मैंने इन मुकदमों के स्वरूप का ख़याल न करते हुए निश्चय किया कि उन्हें वापस ले लेना उचित होगा। फलतः मैंने ताल्लुकेदार को मुकदमे वापस ले लेने के लिए हिदायत करदी और अब ये मुकदमे वापस ले लिए गए हैं।

आरोप सं० १२—आम तौर पर हिन्दुओं के घरों पर पत्थर फेंके जाते हैं।

तहक़ीकात का फल—क़स्बे में पत्थर फेंके जाने की शिकायत आम थी। हिन्दुओं के विरुद्ध दो मुकदमे चलाए गए थे और दोनों ही गुलबर्गा की अदालत में भेज दिए गए थे। गुलबर्गा के सूबेदार द्वारा क़स्बे में अमन सभा का निर्माण हो जानेपर ये दोनों मुकदमे वापस लेलिए गए थे क्योंकि हिन्दुओं और मुसलमानों ने वायदा करलिया था कि भविष्य में वे शान्ति और प्रेम से रहेंगे।

इससे प्रगट है कि आर्य्य समाज ने जो आरोप लगाए थे वे निराधार नहीं थे तुच्छ या शरारत पूर्ण तो थे ही नहीं। आरोपों में से अधिकांश सच्चे प्रगट हुए हैं। कुछ से श्रीयुत हौलिन्स सहमत नहीं हुए हैं और वह भी पुलिस के तय्यार किए हुए कागज़ों के आधार पर। दो या तीन आरोपों में उन्होंने तहकीकात करना पसन्द नहीं किया और केवल अमन सभाओं के निर्माण तक ही अपने को सीमित रक्खा। इस तहकीकात ने कम से कम एक बात साफ़ करदी है और वह यह कि डेनमार्क की स्टेट में कोई खराबी ज़रूर है, अर्थात् दाल में कुछ काला है और आन्दोलन निकम्मे अथवा शरारती दिमाग़ों की सनक नहीं है।

अध्याय ५

हिन्दू देवियों पर अत्याचार

"पिछले कई महीनों से स्थानीय प्रचारकों ने हिन्दू स्त्रियों पर मुसलमानों के आक्रमणों और मुख्यतया गत अप्रैल के शहर के साम्प्रदायिक दंगे की इस प्रकार की घटनाओं की चर्चा करने और अपने श्रोताओं को इस प्रकार के अत्याचारों से अपनी देवियों के सम्मान की रक्षा के लिए संगठित और सुसज्जित होने की प्रेरणा करने का नियम बना लिया है। वस्तुतः अप्रैल के दंगे में किसी हिन्दू स्त्री को छुआतक नहीं गया और इरादतन किए हुए इस प्रकार के आक्रमण की कभी कोई सूचना सरकार को नहीं मिली। साम्प्रदायिक दुर्भाव पैदा करने का यह यत्न झूठा होने के साथ साथ जितना दूषित है उतना ही जातियों के पारस्परिक सम्बन्धों के लिए ख़तरनाक है।" पृष्ठ १-२) रेखा अङ्कित शब्द हमारे हैं।

कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है कि यदि ये बातें झूठी हो तो इस प्रकार का शोर ख़तरनाक और हर प्रकार से तिरस्कृत किए जाने योग्य होता है। परन्तु यदि सच्ची हों तो जनता के लिए सरकार से निवेदन करने और असफल होने पर जोरों से चिल्लाने के सिवा और कोई चारा नहीं होता है। स्त्री जाति के सम्मान की रक्षा प्रत्येक सोसाइटी और प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य कर्त्तव्य होता है और जीवन से भी ज्यादा उसका मूल्य होता है। हमारे मित्र ने इस अभियोग का केवल 'अप्रैल के दंगे के दौरान' में विरोध किया है और इस बात का कोई निश्चित सबूत नहीं है कि हमारी शिकायत इन दंगों से ही विशेष सम्बन्ध रखती हैं। इस प्रकार के आपत्ति जनक कार्यों का मुसलमानों का एक अंग आदी है या निजाम राज्य के कुछ भागों में डरावने रूप में यह प्रथा आम है यह बात निम्न उदाहरणों से भली भाँति जानी जा सकती है:—

१—सन्तय्या पाटरी को हुमनाबाद इस लिए छोड़ना पड़ा कि शरफ़अमीर उसकी लड़की को सताया करता था।

२—होल समुद्र में अध्यापक ने एक ब्राह्मण और एक संगम लड़की को सताया। इन लड़कियों के फोटो इस पुस्तक में दिए हुए हैं।

३—कलम के कुछ मुसल्मानों ने शामराव की स्त्री को सताया।

४—उदगीर में दो मुसल्मानों ने एक हिन्दू स्त्री को सताया। एक दयालु अरब ने उसकी सहायता की और उसे एक आर्य्य के पास ले गया। परन्तु उन मुसल्मानों ने पुलीस की मदद से उस स्त्री को मांगा और आर्य्य को गिरफ्तार कराया।

५—कलम में बशीर कान्सटेबिल के कहने पर कई मुसल्मानों ने एक चमार स्त्री को भ्रष्ट किया। उन्होंने इस्लाम कबूल करने के लिए उसे मजबूर किया। स्थानीय आर्य्य समाजियों ने उसकी रक्षा की। पुलीस ने अपराधियों को दंड नहीं दिया।

६—कल्याणी में मुहम्मद हुसैन के भाई ने रत्नगिर की पत्नी को भगाया। अदालत ने फैसला दिया कि गुसाइयों के पत्नियां नहीं होती हैं। यद्यपि स्त्री ने हलफिया यह कहा कि मैं रत्नगिर की पत्नी हूं और मेरे बच्चे उसी से पैदा हुए हैं और अपील करने पर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत के फैसले को दुबारा सुन वाई के लिए रद्द कर दिया इस पर भी अदालत ने मुकद्मे को खारिज कर दिया वह स्त्री अब भी मुसलमान के पास है।

७—कल्याणी में एक मुसल्मान मजकूरी ने चूना फरोश दुर्गाजी की स्त्री को भगाया।

८—कुल मुगली के हाफिज पटेल ने एक मराठे की स्त्री को बहका लिया है।

ये एक या दो स्थानों से लिए हुए कतिपय उदाहरण हैं। १२ तिर १३४४ फसली के रहबरे दकन से लिया हुआ निम्न अवतरण खेद जनक मनोवृत्ति का परिचय देता है।

"ये स्त्रियाँ क्यों इन गुण्डों के फुस्लाव में आकर अपनी असमत (सतीत्व) के मोती को खराब कराने के लिए आमादह हो जाती हैं..............." इसमें जितना पुरुषों का गुण्डापन होता है उतना ही औरतों का भी होता है।"

इस पत्र में सरकार के लिए एक शब्द भी नहीं है जो इन कुकर्मियों अथवा उन मुसल्मानों को दंडित नहीं करती है जो इस प्रकार की चीजों को मलामत योग्य पाप नहीं समझते हैं।

अध्याय ६

जेलों में बलात् धर्म्म-परिवर्तन

"जहाँ तक सरकार को पता है राज्य की किसी भी जेल में कभी भी कोई क़ैदी मुसलमान नहीं बनाया गया और दूसरे धर्म्म वाले किसी भी क़ैदी को इस्लाम की शिक्षा देने की आज्ञा नहीं है" (पृष्ठ ५२)।

ऐसा प्रतीत होता है कि निज़ाम की सरकार को राज्य की बहुत सी घटनाओं का पता नहीं है। परन्तु उपर्युक्त कथन के तत्कालबाद निम्न वक्तव्य दिया हुआ है:—

'यह सत्य है कि पिछले ३ वर्षों में ४ क़ैदियों ने इस्लाम ग्रहण करने की इच्छा प्रगट की थी और जेलों के डाइरेक्टर जनरल ने उन क़ैदियों से स्वयं भेंट करके और यह सन्तोष करके कि वे स्वेच्छा से धर्म्म परिवर्तन करना चाहते हैं, उनकी प्रार्थना स्वीकार करली थी"।

इन दोनों बयानों के पारस्परिक विरोध को नोट कीजिए। सरकार को पता नहीं है कि किसी जेल में कभी कोई क़ैदी मुसलमान बनाया गया हो और सरकार को केवल ४ क़ैदियों का पता है जिन्होंने इस्लाम ग्रहण करने की इच्छा प्रगट की थी और जिनकी दर्ख़ास्त डाइरेक्टर जनरल ने स्वीकृत की थी। क्या हम आदर पूर्वक पूछ सकते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि ४ क़ैदियों के स्थान में ४०० वा ४ हज़ार क़ैदियों के साथ वैसा व्यवहार नहीं हुआ है अर्थात् मुसलमान नहीं 'बनाए गए हैं, क्योंकि सरकार बहुधा इस प्रकार की घटनाओं से अनभिज्ञ रहती है।

क्या यह आश्चर्य्य की बात नहीं है कि केवल 'निज़ाम की जेलों में कुछ ग़ैर मुस्लिम क़ैदियों पर सहसाही प्रकाश नाज़िल हो जाता है और वे इस्लाम में दीक्षित होने की प्रार्थना कर देते हैं? संसार की अन्य जेलों में ऐसी कितनी घटनाएँ हुई हैं? और हैद्राबाद में भी केवल 'इस्लाम' के लिए क्यों? क्या कभी किसी व्यक्ति ने निज़ाम की जेलों में ईसाई, बौद्ध या आर्य्य बनने की इच्छा प्रकट की है? यह सन्देह छिपाना अत्यन्त कठिन है। अतएव "ग़लत बयानी" के लिए कोई संभव आधार न हो सके इसलिए सरकार ने अब आज्ञा जारी करदी हैं कि भविष्य में

किसी भी क़ैदी को जब तक वह जेल में रहे जेल में प्रवेश के समय उसका जो धर्म्म था उससे भिन्न अन्य धर्म्म अंगीकार करने की आज्ञा न दीजाय" (पृष्ठ ५२) यह बहुत अच्छा हुआ। परन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसा किस फ़रमान, प्रस्ताव अथवा कानून के द्वारा हुआ है ? क्या उन्हें इस बात की पर्वा है कि ऐसे नियमों का पालन करना उनका आवश्यक कर्त्तव्य है जिन से मुस्लिम हितों की हानि होती हो ? क्या बिना दंड पाए इन नियमों और आज्ञाओं की अवहेलना करने की उन्हें खुली छुट्टी नहीं है ? एक अजीब बात जिसको बहुत से आदमी नहीं जानते हैं और जिस पर हैद्राबाद के बाहर के बहुत से समझदार आदमी विश्वास नहीं करेंगे वह यह है कि ऐसे बहुत से नियम केवल क़ायदे-क़ानून की पुस्तक के लिए होते हैं और आचरण की अपेक्षा उनके उल्लंघन के द्वारा ही उनका अधिक सम्मान किया जाता है। इसका जीता जागता सबूत कल्याणी जेल में लातूर के गंडा नामक हिन्दू का मुसलमान बनाया जाना है और यह घटना उसकी रिहाई के ६ दिन पूर्व की है। गंडा का नाम अब्दुल मुहम्मद रक्खा गया था। इन सचाइयों की मौजूदगी में भी आर्य्य समाजियों को झूठों, गप्पियों और आन्दोलनों को खड़ा करने वालों का गिरोह कह कर बदनाम किया जाता है।

अध्याय ७

'वेद प्रकाश गल्प के सम्बन्ध में'

पुस्तक का परिशिष्ट सं० ७ इस सनसनी पूर्ण हैडिंग में प्रकट होता है। क्यों ? इसलिए:—

"प्रत्येक हिन्दू मुस्लिम घटनाको किस प्रकार साम्प्रदायिक रंग दे दिया जाता है इसका एक नमूना गंबोटी के दिसम्बर १६६७ के बलवे का मामला है। बल्वा शराबियों के आपस के झगड़े से शुरू हुआ था और बाद में साम्प्रदायिक दंगे में परिवर्तित हो गया था जिसके फल स्वरूप दंगइयों में से कई के चोट लगी थीं और दुर्भाग्य से दसमय्या की मृत्यु हो गई थी। दसमय्या की मृत्यु के तत्काल बाद आर्य्य समाजियों ने उसका नाम वेदप्रकाश रख कर इस बात का तीव्र आन्दोलन किया कि इस्लाम ग्रहण करने से इन्कार कर देने के कारण उसका वध कर दिया गया था" पृष्ठ (२१)

शाबाश ! क्या यह जले पर नमक छिड़कना नहीं है ? ऐसा झूंठ ! सफेद झूठ !! और उस गवाही की मौजूदगी में जो निजाम सरकार की अदालत की सम्पत्ति है ! निश्चय ही इस तरह की बड़ी सरकार की ओर से ऐसे संगीन मामले में, इस प्रकार का झूंठ कभी प्रकाशित नहीं हुआ था। बलवा कैसे शुरू हुआ था इससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्रश्न यह है:—

(१) क्या दसमय्या की हत्या हुई थी ?

(२) मृत्यु के समय अथवा मृत्यु से पहले उसका नाम वेदप्रकाश था वा नहीं ?

(३) मुसल्मानों द्वारा उसकी हत्या हुई वा नहीं ?

(४) क्या बल्वे के बीच में उसका कत्ल हुआ था अथवा बिल्कुल अलग स्थान में ?

(५) उसे इस्लाम ग्रहण करने की धमकी दी गई थी वा नहीं।

इस हत्या को किसी बल्वे के साथ मिलाना जो कभी पहले हुआ होगा, अथवा उसे काल्पनिक वा वास्तविक शराबियों के झगड़े के साथ जोड़ना एक आविष्कार है जो किसी भी व्यक्ति को लोगों की निगाहों में गिरायगा और उसे तो बहुत ज्यादा गिरायगा जो एक जिम्मेवार सरकार के कार्य्यकर्त्ता (एजेन्ट)

की हैसियत में लिख रहा हो। ऐसी सरकार से न्याय की क्या आशा की जाय जो इस प्रकार के स्पष्ट झूठे बयान देने में नहीं शर्माती है ? निजाम की सेशन कोर्ट में हल्फिया जो बयान दिए गए हैं उनकी वास्तविक निम्न लिपियों की ओर न्याय प्रिय पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

मुकदमा नं० २५। ८ तिथि ५ तिर-१३७७ फ़

मौलवी मिरजा हसन अहमदबेग नायब नाज़िम (एडीशनल मजिस्ट्रेट) जिला गुलबर्गा की अदालत में।

शिव बसप्पा, वल्द महादप्पा, उम्र ५५ पेशा व्यापार साकिन गंजोटी (तालुका गंजोटी इलाका पयगा) ने हल्फिया बयान दिया:—

"मृत वसमय्या मेरा पुत्र था। उसकी उम्र २० साल की थी। मुसल्मानों ने उसकी हत्या कर दी। दाऊद खां साहब, अब्दुलअज़ीज़, शाहबुद्दीन, हुसैन खां, चांदतम्बोली, चांद जमादार, घोसूद्दीन। बाकी दो जिनके नाम मुझे याद नहीं हैं फरार है जो अभियुक्त अदालत में मौजूद हैं उन्हें मैं पहचानता हूं। इस घटना को हुए ५ महीने हुए हैं। गंजोटी में सड़क पर यह झगड़ा हुआ था। उस वक्त मैं अपने घर पर था। मैंने 'बोम' की आवाज सुनी। मैं रोता हुआ वहां गया। मैं सतबाजी गोंदी (राज) के घर की तरफ़ गया। यह जगह मेरे घर से २०० क़दम पर है। मेरा बेटा सतबाजी के घर के सहन में एक कोगी (अनाज का बरतन) के पास पड़ा था। उस समय ये सब अभियुक्त जो अदालत में है वहाँ मौजूद थे। दाऊद खां और अब्दुल अज़ीज़, शाहाबुद्दीन इत्यादि करीब १०० या १५० वहां मौजूद थे। उनके हाथों में लाठियां और तलवारें थीं। मरहूम की गर्दन कटी हुई थी। मैं रोने लगा।

दाऊद खां और शहाबुद्दीन ने कहा 'यह गड़बड़ कर रहा है इसे भी काट डालो'। मैं आगे बढ़ा और कहा "काट डालो" इसके बाद वे चले गए। मैं बैठा रो रहा था तब ही अमीन साहब और सर्किल साहब इत्यादि आए। पूछने पर मैंने कहा 'उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला है।" एक पुलीस कान्स्टेबिल मुकर्रर करके अमीन साहब चले गए। दूसरी सुबह पुलीस आई और पंचनामा किया गया। लाश तुल्जापुर हस्पताल में भेजी गई थी। चान्दनी रात थी। मेरा लड़का आर्यसमाजी होगया था। घटना से २ महीने पहले वह आर्य बना था। झगड़ा कैसे शुरू हुआ था यह अब मालूम हो गया है। मैं घर पर था। मरहूम का आर्य्य बनते ही वेदप्रकाश नाम रख दिया गया था। देख कर मैं कपड़ों को

पहचान सकता हूँ। मैं दर्खास्त करता हूँ कि अभियुक्तों से वाजिब मुआवज़ा दिलाया जाय। मरहूम की मां और बहिन जिन्दा हैं। (उसने मरहूम के कपड़ों की शिनाख्त की)।

अदालत के सवाल पर:—

"जब मैं घटना-स्थल पर पहुँचा था तब वहाँ लैम्प न था, चांदनी रात थी। सतवा के घर के सामने १५० आदमी जमा थे। लाश घर के भीतर थी। घर के सहन में ८ या ६ आदमी थे। दाऊदखां, अब्दुल लतीफ, शहाबुद्दीन, यूसुदीन, चांदतमोली; चांदजमादार। अदालत में जो अभियुक्त हैं उन में से कुछ सहन के भीतर थे और कुछ बाहर। मैं अभियुक्तों को बचपन से जानता हूँ। ये मेरे ही गांव के रहने वाले हैं। योसुद्दीन के हाथ मे तलवार थी। बाकियों के पास लाठियाँ थीं। कोई भी खाली हाथ न था। १००, १५० आदमी जो वहाँ इकट्ठे थे वे भी गांव के ही थे परन्तु मै नही जानता कि वे कातिलों 'में से थे या नहीं'। सतवा अपने घर में था। सतवा भी अपने घर में जख्मी हुआ पड़ा था। उसकी कराहट की आवाज़ आ रही थी उस समय मैं ने उसे नहीं देखा था। मैंने किसी से नहीं पूछा था कि मेरे पुत्र को किसने मारा है। किसी ने मुझे नहीं बतलाया था कि मेरे पुत्र की किसने हत्या की है। दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ था।"

दस्तखत—मौलवी मिरजा हसन अहमद बेग
नायब नाजिम सूबा।

मुक़दमा नं० २५। ८ १३४७ फ़स्ली तिथि ५ तिर १३४७ फ़स्ली।

मौलवी मिर्जा हसन अहमद बेग नायब नाजिम 'सूबा गुलबर्गा।

मुसम्मात सक्खन बाई, धर्म्म पत्नी साँबाजी, कौम मरहटा, उम्र २५। पेशा घर गृहस्थ का कार्य्य, साकिन (निवासी) गंजोटी ने हल्फ़िया (कसम खा कर) बयान दिया:—

"मैं दसमय्या को जानती हूं। वह शिव बसप्पा का पुत्र था। सत्वा जी के घर से लगा हुआ मेरा घर है। उन्होंने दसमय्या का कत्ल किया। मुसल्मानों ने उसकी हत्या क'। रात का वक्त था। मैं जंगल से लौट कर आई थी और अपने पैर धो रही थी। यह सूरज छिपने के १॥ घंटे बाद की बात है। हस्पताल की तरफ़ मुसल्मान लोग 'दीन, दीन! चिल्लाते हुए आए। वहां बहुत से आदमी थे। सड़क भरी हुई थी। मैंने दर्वाजे को थोड़ा बन्द कर रखा था और

उसी में से झांक रही थी। दसमय्या सतवा जी के घर की तरफ़ लाया जा रहा था। महताव, शम्मू और उसके भाई उस्मान ने उसे पकड़ रखा था।

अदालत में हाजिर अभियुक्तों में से शम्मू (शमशुद्दीन) मौजूद है। बाकी दो यहां नहीं हैं। सतवाजी अपने घर पर था उसने शोर मचाया था। जो तीन आदमी उसे पकड़े हुए थे वे मरहूम से पूछ रहे थे "क्या तू मुसल्मान बनने को तय्यार है?" मरहूम ने जवाब दिया था, "मैं मुसल्मान नहीं बनूंगा, । पर्वा नहीं जान चली जाय। मैं आर्य्य हूँ। वे मरहूम को सतवा जी के घर ले गए थे। मैंने उन्हें कत्ल करते नहीं देखा मैं दरवाजा बन्द करके बैठ गई थी। मैं एक या २ घंटा बैठी रही थी। सतवा जी के बच्चे रो रहे थे। सतवा जी का घर मुसल्मानों से भरा हुआ था। दिन निकले तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। बाहरसे आवाजें आ रही थीं। मैंने सुबह को लाश देखी थी। मैंने अपने सहन में से भी दसमय्या की लाश देखी थी। सतवा की कोठी के पास लाश पड़ी थी। २ या ३ दिन बाद मेरा बयान लिया गया था। सतवा के घर से लाश को आते हुए मैंने देखा था। स्त्रियां रो रही थीं। तब मैंने देखा था कि वे क्या लाई हैं? लाश देखी गई थी।'

अदालत के प्रश्न पर :—

"मैं नहीं बतला सकती हूँ कि किसके हाथ में तलवार थी और किसके हाथ में लाठी थी। जो आदमी इकट्ठे हुए थे उनके नाम भी मैं नहीं जानती हूँ। उनमें से कुछेक को चेहरे से पहचानती हूँ। मैं उस्मान, महताव और शम्मू को पहले से जानती हूं। उनके नाम मैं पहले से जानती थी। इनके अलावा दूसरों के नाम मैं नहीं जानती हूँ। मुझे डराया गया था। मैं कैसे कह सकती हूँ कि अदालत में हाजिर आदमियों से वहाँ कौन २ थे। मैं उन्हें सिर्फ चेहरे से पहचानती हूं। शम्मू मरहूम को पकड़े हुए था। उसके हाथ में कोई चीज नहीं देख सकी थी। मैं गोद में बच्चे को लिए हुई थी। मैं नहीं देख सकती थी कि किस २ के हाथ में क्या २ था। मैं बचपन से शम्मू को जानती हूँ वह हमारे गांव का ही रहने वाला है।"

ह०—मौलवी मिरजा हसन अहमद बेग
नायब नाजिम ८-८-३७ फ़स्ली।

मुक़द्दमा नं० २५।८ १३४७ फ़स्ली तिथि ५ तिर १३४८ फ़स्ली।
मौलानामिर्जा हसन, अहमद बेग, नायब नाजिम, सूबा गुलबर्गा की अदालत में

सतवा जी, वल्द ज्ञानवा, क़ौम गोन्द्रो, उम्र २० वर्ष, पेशा कृषि, साकिन गंजोटी ने हलफ़िया बयान किया:—

"मैं दसमय्या को जानता हूँ। वह शिव बसप्पा का पुत्र था। मुसलमानों ने दसमय्या का क़त्ल किया था। इस घटना को हुए ५ महीने हुए हैं। रात के ८ बजे का वक्त था। मैं खेतों से भैंसे लिए आरहा था। मेरे हाथ में मूंगफली का एक थैला था। हस्पताल के पास ६० या ७० मुसलमान चिल्ला रहे थे। 'ओ अली दौला' मेरा घर इस तरफ़ है। मेरा घर हस्पताल से २०-२५ क़दम पर है। भीड़ हस्पताल के सामने थी। मैंने भैंसों को घर में बांधा और तमाशा देखने को भीड़ की तरफ़ गया। जब कासिम साहब और आज़म साहब मरहूम को पकड़े हुए लारहे थे तब मैं दरवाजे पर खड़ा था। अदालत में मौजूद अभियुक्तों में ये दो नहीं हैं, ये दोनों मरहूम को पकड़े हुए लारहे थे, अन्य लोग 'ओ अली दौला' चिल्ला रहे थे। मरहूम मेरे घर में लाया गया था। भीड़ में मुनव्वर था। वह आया और उसने मरहूम को पकड़ लिया। उसमान, टीपू, महमूम (मुहम्मदाबाद साहब) और चांदतमोली इन सब ने मिलकर मरहूम को मेरे घर के सामने नीचे गिराया। अदालत में उपस्थित अभियुक्तों में केवल चांदतमोली है। ८ या ६ आदमियों ने मिलकर मरहूम को गिराया था, इन में से चांद, मुहम्मदीन और हुसेनखां अदालत में मौजूद हैं। मुहमुद्दीन और उसमान पैरों पर बैठे थे। चांद ने छाती पर बैठकर हाथ पकड़े थे। शहाबुद्दीन काज़ी बगल में खड़ा था। हुसैनखां जो अदालत में हाजिर है मरहूम की गर्दन के पास बैठा था, दाऊदखां, जलानी और काज़ी शहाबुद्दीन खड़े थे। वे चिल्लाए थे 'जल्दी करो'। बोसुद्दीन अभियुक्त ने जो अदालत में हाजिर है मरहूम से कहा था 'क्या तू मुसलमान बनेगा'? शहाबुद्दीन काज़ी ने कहा 'अगर तू गोश्त खायगा तो हम तुझे छोड़ देंगे अन्यथा क़त्ल कर देंगे'। मरहूम ने जवाब दिया था 'मैं आर्य्य हूँ मुझे कत्ल करदो लेकिन गोश्त नहीं खाऊंगा' हुसैनखां ने तलवार से मरहूम का गला काटा था। मैं बहुत नजदीक खड़ा था। मरहूम के शरीर से खून का फ़व्वारा छूट पड़ा और खून मेरे कपड़ों और दरवाजे पर भी गिरा था। मुनव्वर, चांद, उस्मान, टीपू और मोहिउद्दीन घसीट कर मेरे घर के भीतर लाश को लाने लगे। मैंने अपनी बहन को पुकार कर कहा 'मेरी तलवार मेरी तरफ़ फेंक दो'। मेरी बहन का नाम बाई है। मेरी बहन ने तलवार फेंक दी, वह जमीन पर गिरी। तलवार उठाने के लिए मैं झुका। फ़रार अभियुक्त

लम्बू और उस्मान ने पीछे से आकर ४ लाठियाँ मेरे कंधे पर और १ मेरे सिर पर मारीं। मैं जमीन पर गिर पड़ा। रात में पुलिस और पटेल आए। उन्होंने मुझे आवाज दी। मैं पूरे होश में न था। मुझे सुबह को होश हुआ था, उस समय लाश मेरे सहन में पड़ी थी। मैं स्थानीय हस्पताल में ले जाया गया था। घटना के समय चांद चमक रहा था। मरहूम पानों की दूकान करता था। घटना वाले दिन पान लेने के लिए मैं उसकी दूकान पर गया था। उस दिन मंगलवार था। चांद तम्बोली हुसैनखां, मोहिउद्दीन और उस्मान ने मरहूम के क़त्ल में हिस्सा लिया था। दूसरे अभियुक्त भीड़ के साथ थे। जब मेरा पंचनामा भरा गया था तब मैं पूरे होश-हवास में नहीं था।

अदालत के प्रश्न पर:—

'वह मुहर्रम का महीना नहीं था और न आलम निकाले जा रहे थे। मैं नहीं जानता हूँ कि भीड़ 'दौलाअली' क्यों चिल्ला रही थी। अभियुक्त मेरे ही गांव के रहने वाले हैं। मैं उन्हें रोजाना देखता हूँ। भीड़ में से ६० या ७० आदमियों ने 'दौलाअली' की आवाज लगाई थी। जिन्होंने कत्ल में भाग लिया था इधर उधर घूम रहे थे।'

हस्ता०—मिर्जा हसन अहमदबेग।

जिस ढंग से पुलीस ने अभियुक्तों का पता लगाने की कोशिश की या कोशिश नहीं की अथवा बाद को जो कानूनी कार्य्यवाही हुई उसकी हम कोई आलोचना करना नहीं चाहते हैं। इस विषय पर सरकार की मनोभावना को अपना स्वयं सन्तोष कर लेना चाहिए। परन्तु घटना को 'दन्तकथा' कहने का कौन दुस्साहस कर सकता है? ग़रीब शिव बसप्पा ने तो अपना पुत्र खोया जो उसके बुढ़ापे की लकड़ी था और निज़ाम सरकार ने कातिलों को पकड़ कर चलने और दनदनाने के लिए छोड़ दिया है।

"२३ ६ ३८ को कल्याणी में जो दुर्भाग्य पूर्ण घटना हुई थी जिसके फल स्वरूप नागप्पा नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और जिसका बाद में आर्य्य समाजियों ने धर्मप्रकाश नाम रख दिया था, उसके सम्बन्ध में भी उसी कला का प्रयोग किया गया था।" (पृष्ठ ४०)

मानो मृत्यु के बाद नाम बदलने का आर्य्य समाजियों को शौक है। इस प्रकार की सफाइयाँ सरकारों के गौरव को कम करती हैं। आप बाहर के बड़े बड़े लोगों को धोखा दे सकते हैं परन्तु जनता को नहीं जो इन चीजों को भली भांति जानती है और जिसका आप मे विश्वास नहीं रहेगा। परन्तु कौन पर्वा करता है ? हम निज़ाम गवर्नमेन्ट को चैलेन्ज देते हैं कि यदि वह हमारे अरोपों का खण्डन कर सकती है तो निष्पक्ष ट्रिब्यूनल के सामने खंडन करे।

अध्याय ८

हैद्राबाद की मतान्धता पुराना मर्ज है।

हमारी सब सुनिश्चित शिकायतों का एक ही उत्तर पुस्तक में दिया गया है और सैकड़ों स्थलों पर प्रसङ्ग और बिना प्रसङ्ग के उस को दुहराया गया है। वह उत्तर यह है कि जब तक भानमती के पिटारे के रूप में आर्य्य समाज रंग भूमि में नहीं उतरा था और इसकी गन्दगी से हवा दूषित नहीं हुई थी तब तक निजाम राज्य में शान्ति थी। इस कथन की सत्यता की जांच के लिए राज्य के भूतकालिक इतिहास पर दृष्टि डालनी होगी। हमे याद रखना चाहिए कि पहला आर्य्य समाज १८७५ में बम्बई में स्थापित हुआ था और निज़ाम राज्य में इसका प्रवेश अपेक्षाकृत बहुत आधुनिक है। परन्तु इससे पूर्व हम हिन्दुओं को राज्य की धर्म्मान्धता के भारी बोझ से कराहते और परिस्थितियों के अनुसार उपचार के लिए चिल्लाते हुए पाते हैं। हम कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं:—

लग भग ५० वर्ष हुए सरकार ने विदेश में शिक्षा के लिए वजीफों की व्यवस्था की थी और केवल मुसल्मान विद्यार्थियों को वजीफे दिये जाने शुरू हुए थे। चूंकि राज्य में ६० प्रतिशतक हिन्दू हैं और राज्य की अधिकांश आमदनी उन की जेबों से आती है इसलिए इन वजीफों मे हिस्सेके लिये हिन्दुओं का भिनभिनाना स्वाभाविक था। क्या आप जानते हैं सरकार ने क्या किया? सरकार ने चालाकी से पोंगापन्थी हिन्दुओं की एक कमेटी नियत की और उनकी सम्मति मांगी। १८६० के हिन्दू 'का निम्न अवतरण इस विषय का स्वयं स्पष्टीकरण करता है:—

"हिन्दू विद्यार्थियों को समुद्र यात्रा करनी चाहिए या नहीं धार्मिक दृष्टि से इस बात के निर्णय के लिए अनभिज्ञ पोंगापन्थियों की कमेटी के निर्माण तथा इस शर्त के सरासर अन्याय के निराकरण के लिए कि सरकारी वजीफे की उम्मेदवारी के लिए अपने को प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थी का उर्दू और फारसी का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है, चन्द्रघाटक्लब की ओर से हिन्दुओं के भावों का परिचय देने के लिए एक सार्वजनिक सभा हुई थी जिसमें स्थानीय 'बार' के सदस्य श्रीयुत रामचन्द्र पिल्ले ने कहा था":—

"यह भाव घर करता आ रहा है कि अधिकारी लोग हिन्दुओं के हितों के विरोधी हैं और कट्टर पोंगा पन्थियों की प्रस्तावित कमेटी ने इस भाव को दृढ़ कर दिया है"। नवाब मुशताक हुसैन ने यह कह दिया था कि 'उच्च शिक्षण के लिए हिन्दुओं को जो अवसर दिये जाते हैं उनसे लाभ उठाने मे वे बड़े उदासीन हैं'। इस कथन की सिद्धि के लिए उस मीटिङ्ग में तीव्र शब्दों में चैलेन्ज दिया गया था।

(२) कलकत्ता के नवाब अब्दुल लतीफ खान बहादुर सी० आई० ई ने इस प्रकार कहा था:—

"मैंने बड़े दुख से राज्याधिकारियों और हिन्दू प्रजा के मध्य सहानुभूति का अभाव देखा और मुझे आश्चर्य हुआ कि हिन्दू लोगों का जो राज्य की प्रजा का सब से बड़ा अंग है, राज्य के शासन में प्रतिनिधित्व नहीं है।"

(३) एक भद्र पुरुष पर जिनका दुर्भाग्य यह था कि वे स्वतंत्र विचार के व्यक्ति थे और उन्हें अपने विचारों को प्रगट करने का साहस था मुकद्दमा चलाया गया था और अब भी चलाया जारहा है। हैद्राबाद सरकार को 'एकतन्त्रीय' और जजों को अधिकारियों के हाथ का खिलौना (अर्थात् मातहत) बताने के अपराध में सूचि में से नामकाटे जाने का उसे नोटिस दिया गया था।

(४) हिन्दुओं के रीति-रिवाजों के प्रकाश मे कानून की व्याख्या करने के लिए हाईकोर्ट बेंच में हिन्दू जज रखाने की आवश्यकता और उपादेयता पर विचार करने के लिए अल्बर्ट रीडिङ्ग रूप में सिकन्दराबाद के हिन्दुओं की एक सभा हुई थी। प्रस्ताव पर यद्यपि अधिकारी शायद अमल नहीं करेंगे तथापि यह स्वागत योग्य है इसलिए कि लोकमत की उत्पत्ति का सूचक है और इससे वह शक्ति पैदा होगी जो अनिच्छुक हाथों से बलात न्याय करायगी।

(५) जोशीले धर्म्म और एक उच्च राजकर्मचारी के प्रभाव के लिए धन्यवाद। हैद्राबाद की मुस्लिम प्रजा की संख्या में अभी हाल में एक दिलचस्प वृद्धि हुई है। एक शास्त्री की जो ६० वर्षसे अधिक उम्र का है, सहसा ही हिन्दू धर्म्म तथा उन कविताओं में आस्था नहीं रही जो कई दशाब्दियों तक मुसलमानों और ईसाईयों के खिलाफ लिखता रहा था और वह कुछ समय हुआ वफादारों के धर्म्म को अंगीकार करके गुलाम मुहम्मद बन गया है।

(६) सरकारी नीति की पैरवी में यह कहा गया था कि 'देखने के लिए जिनके

आंखें हैं और समझने के लिए जिनके दिमाग है वे पूर्णतया संतुष्ट हैं कि वर्तमान हकूमत की नीति कीही अन्त में विजय होगी जो न्याय और मितव्ययता के दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता पूर्ण असूलों पर आश्रित है'।

क्या यह न्याय था जो अनागोंदी रियासत से १००००) पेश खास की मांग में विजयी हुआ जो बाद में १८०००) कर दिया गया था। जिसकी वजह से गरगंटा में दुखों की सृष्टि हुई क्या वह न्याय था।

(७) समस्त भारतवर्ष जानता है कि सर सय्यद अहमदखां हैद्राबाद के अपने मिशन में कितने अधिक सफल हुए थे। हैद्राबाद से बाहर के बहुत कम लोग उस सफलता के राज (रहस्य) को जानते हैं। नवाब विकारुलमुल्क सर सय्यद के मित्र और सलाहकार हैं और अलीगढ़ कालेज की १००० के स्थान में २००० मासिक सहायता हो जाने का यही कारण है।

नवाब प्रेमरोजजंग विकारुलमुल्क का आदमी है, यदि यह बात न होती तो वारंगल के लोगों से सर सय्यद को २६ हजार रुपया न मिलता। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये निर्विवाद सचाईयाँ हैं। अलीगढ़ कालेज के लाभ के लिए हैद्राबाद के कुछ दफ्तरों में मुख्यतया एकाउन्टेन्ट जनरल के दफ्तर में इसी प्रकार के उपाय कार्य्य में लाए गए थे। एकाउन्टेन्ट जनरल के आफिस में सब कर्मचारियों के वेतनों में से ५ प्रतिशतक कटौती की गई थी, और जब एक ग़रीब क्लार्क ने शिकायत की थी तो उसकी तनख्वाह में से १० प्रतिशत काटा गया था।

(९) मुसलमान लोगों ने प्रचार और तबलीग़ का कार्य्य विधिवत् प्रारम्भ कर दिया प्रतीत होता है। मुझे बताया गया कि एक मुसलमान जो पहले हिन्दू था बाजार में लोगों को कुरान की आयतें गा कर सुनाता है और पैगम्बर की महत्ता बतलाया करता है। आज कल चन्द्रघाट में प्रतिदिन यही होता है।

(१०) दुखी लोगों को जिनकी संख्या एक फौज के समान बढ़ी है अपने मुंह के ताले लगाए रखने पड़े हैं और भंडा फोड़ और आलोचना के भय के बिना अत्याचार और अन्याय बहुत बढ़ गया है।

ये अवतरण १८९०-९१ के हिन्दू से लिए गए हैं।

यहाँ हमने १८९०-९१ के हिन्दू से कुछ अवतरण उधृत किए हैं। शायद इनमें हिन्दुओं के प्रति पक्ष पात बतला कर ये एक तरफा समझे जावें। अतः हम पुस्तक में से एक मनोरंजक स्थल उद्धृत करते हैं।

जब हिन्दुओं और मुसल्मानों के त्यौहार एक साथ आ पड़ते हैं तो हिन्दुओं की अपने धार्मिक कृत्यों के करने की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में

'तीन वर्ष तक लगातार (१२६६, ति० १२७० और १२७१) दशहरा और मुहर्रम साथ साथ आए। चूँकि शान्ति भंग होने का भय था अतः सरकार ने आज्ञा दी कि हिन्दुओं को अपने धार्मिक कृत्य अपने घरों के भीतर करने चाहिए और बाजे के साथ अपने जलूस नहीं निकालने चाहिए। दुबारा सन् १८८५में दशहरा और मुहर्रम साथ २ आए और इस अवसर पर सरकार ने बड़े बड़े कुछ हिन्दुओं की सम्मति लेनी उचित समझी। ४ सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसमें राजा शिवराज बहादुर, राजा गिरधारी प्रसाद बहादुर, श्री रघुनाथराव और एक मुस्लिम मि० रसूल यारखाँ थे।

इस कमेटी ने सर्व सम्मति से निम्न सिफ़ारिशें कीः—

(१) शहर और अजला में सब हिन्दुओं को अपने अपने घरों में अपने धार्मिक कृत्य करने चाहिएँ।

(२) जो 'सीमोल्लंघन' के लिए बागों में जाना चाहें वे बिना बाजे अथवा अन्य किसी धूम धाम के जा सकते हैं।

(३) मटकम्मा बाहर नहीं ले जाने चाहिएँ और हिन्दुओं को अपने घरों के भीतर के छोटे छोटे देवल में भी बाजा नहीं बजाना चाहिए।

(४) खास खास बड़े २ देवालयों में जिनके चारों ओर बहार दीवारी हैं, हिन्दू लोग साधारण बाजे के साथ अपनी पूजा-पाठ कर सकते हैं परन्तु उन्हें देवालयों के बाहर हरगिज़ नहीं आना चाहिए।

देवालयों की पूजा-पाठ में मुसलमान हस्ताक्षेप नहीं करेंगे। जो कोई इस हुक्म को तोड़ने का अपराध करेगा चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान उस पर फ़ौजदारी मुक़द्दमा चलाया जायगा।

ये सिफ़ारिशें सरकार ने स्वीकार करली थीं और तब से अब तक जब कभी हिन्दू त्यौहार मुसलमानों के त्यौहारों के साथ पड़ते हैं ये अमल में आरही हैं।

उपर्युक्त वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ने पर विदित होगा कि सरकार मुस्लिम हितों की रक्षा और हिन्दुओं के दमन के लिए किन किन हथकंडों को काम में लाती है। जांच कमेटी के निर्माण का ड्रामा खेला जाता है जिस में तीन हिन्दू और एक

मुसलमान हैं। बहुत बड़ी रिआयत की गई ! और यह हिन्दू प्रधान कमेटी समस्त हिन्दुओंके हितोंका गला घोंटती है और मुसलमानों को कोरा चैक देदेती है। कृपालु और न्यायशील सरकार एकदम कमेटी की सिफ़ारिशों का स्वीकार कर लेती है। क्या यह वही स्वर नहीं है जो भरा गया था ?

हमारा मित्र पुस्तक का लेखक, इन सब चीजों को निजाम के शासन की निष्पक्षता के सबूत के रूप में प्रस्तुत करने का दुस्साहस करता है। परन्तु इससे प्रत्येक समझदार आदमी के सामने निजाम शासन की कठोरता की नंगी तस्वीर आजाती है।

हैदराबाद राज्य में तबलीग का राज्य

इस प्रकार की साप्ताहिक रिपोर्ट तय्यार की जाती है और तबलीग के लिये राज्य की ओर से कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं।

तबलाग के पक्ष मे सहायक ीन र का प्रापगैन्ा

सारा भारतवष शीघ्र मुसलम न होने जा रहा है।

अध्याय १

इस्लामी तबलीग में निज़ाम सरकार का हाथ ।

प्रत्येक सरकार के लिए चाहे वह एकतन्त्र वादी हो अथवा प्रजातन्त्र वादी यह आवश्यक होता है कि वह अपनी प्रजा की समस्त जातियों के हितों की रक्षा करे और सब के साथ समान रूप से निष्पक्षता का व्यवहार करे। शासक का अपना धर्म्म भले ही कोई क्यों न हो बतौर शासक के उसका अपना कोई धर्म्म नहीं होता है और उसकी दृष्टि में सब धर्म्म समान होते हैं। ऐसे समय हो चुके हैं जब प्रजा को अपने शासक के धर्म्म को अंगीकार करना पड़ता था और राजा की आत्मा ही प्रजा की आत्मा थी। व्यक्ति गत आत्म-जागृति के विकाश के साथ २ वे दिन चले गए और उस समय की दुख जनक स्मृतियां मानवी इतिहास के पृष्ठों को काला करने के लिए अवशिष्ट रह गई हैं। परन्तु हैद्राबाद इसका अप्रिय अपवाद है। वहां अभी तक बुराई मौजूद है यद्यपि पर्दे के पीछे है। एक ओर डंके की चोट यह विज्ञापित किया जा रहा है कि हैद्राबाद की प्रजा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता का उपभोग करती है और शासक सब धर्म्मों को समान भाव से देखते हैं। दूसरी तरफ़ राज्य के कोष की एक बड़ी राशि तथा शक्ति इस्लाम की तबलीग़ पर व्यय की जाती है। जाहिरा तौर पर शासक नितान्त निष्पक्ष हैं। इस आशय के फ़रमान, प्रस्ताव और सरक्यूलर हैं कि राज्य को किसी धर्म्म के साथ खास २ रियायत नहीं करनी चाहिए। परन्तु उनका प्रधान उद्देश्य 'शोरूम' को सजाना तथा आवश्यकता होने पर पूरी सजावट के साथ उनका प्रदर्शन करना है। निज़ाम सरकार ने अपनी सफ़ाई में जो पुस्तक प्रकाशित की है वह इस प्रकार के प्रदर्शन से परिपूर्ण है। बहुत बड़े परिमाणमें उन्हें उद्धृत किया गया है और उनके सम्बन्ध में बड़ी परेशानी उठाई गई है। परन्तु चीजें वैसी नहीं हैं जैसी देख पड़ती हैं।

सबसे पहले, ऐसे अन्य नियम और सरक्यूलर हैं जो उपर्युक्त का प्रतिवाद करते हैं अथवा कम से कम उन्हें सन्देहजनक बनाते हैं।

दूसरे, तथा कथित धर्म्म-विभाग है जिस में पूर्णतया मुस्लिम अधिकारी हैं और जो इस्लाम की तबलीग़ में आज़ादी से अपने प्रभाव को काम में लाते हैं।

इसके अतिरिक्त इस विभाग का विस्तृत बजट जन साधारण (जनता) की सूचना के लिए कभी प्रकाशित नहीं होता है।

तीसरे मन्दिरों, अखाड़ों और स्कूलों के नियन्त्रण सम्बन्धी कानून हैं जो कुचक्र के दमन के पर्दे के पीछे ग़ैरमुस्लिमों की उन्नति में रोड़ा अटकाते हैं अथवा उनके सामने आक्षेपयोग्य प्रलोभन प्रस्तुत करते हैं।

चौथे इस्लाम स्वीकार कर लेने पर लड़कों के साथ विशेष रियायत की जाती है (करीम नगर ज़िले के शिक्षा विभाग के सुपरिन्टेन्डेन्ट के हल्ला पारकल के स्कूलो के नाजिर के नाम पत्र सं० १०३।२, १३४६ तथा पत्र सं० ५८७१ ति० २६-६-४६ को देखो) इन पत्रों में सुपरिन्टेन्डेन्ट महाशय उन लड़कों को निशुल्क स्कूल में दाखिल करने की आज्ञा देते हैं जिन्होने इस्लाम धर्म्म अंगीकार कर लिया था। उन लड़कों की धार्मिक शिक्षा के लिए वह हिन्दू अध्यापक के तबादले तथा उसके स्थान में मुस्लिम अध्यापक की नियुक्ति की भी व्यवस्था करता है।

(कल्याणी के सहायक अध्यापक मोहिन रय्यार ख़ां द्वारा सम्भा मुसलमान बनाया गया था)।

पाँचवें, जेलों मे क़ैदियों को मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है (निजाम सरकार ने यह स्वीकार भी कर लिया है)।

छठे, मन्दिरों और उपासना स्थलों के सम्बन्ध में नियम इतने ईर्ष्या और द्वेष से लागू किए जाते हैं कि एक ओर इनका परिणाम यह हुआ है कि हिन्दू मन्दिरों का अन्त हो चुका है और दूसरी ओर निजाम राज्य में कई मस्जिदों का उदय हो गया है।

देखने के लिए जिनके आंखें हैं और जो देखने के लिए उत्सुक हों और सचाई पर पहुँचना चाहते हों उन्हें इस सम्बन्ध में सचाई मालूम करने में कठिनाई न होगी।

सातवें, राज्य का धन राज्य के भीतर और बाहर की मुस्लिम संस्थाओं पर आज़ादी और निर्दयता से खर्च किया जाता है और शासक की उदारता का जनता के सामने ढोल पीटने के लिए इसकी कुछ जूठन यदाकदा हिन्दू मन्दिर अथवा संगठन के सामने फेंक दी जाती है। हैद्राबाद की पुस्तक इस बात की शिकायत करती है कि हमने उन दानों की जो स्थानीय संस्थाओं को दिए जाने वाले समझ लिए गए हैं जान बूझ कर बनाई हुई असत्य सूची दी है उस में हमने हिन्दू संस्थाओं

के दानों तथा हिन्दू-मन्दिरों और व्यक्तियों की सहायताओं का जिक्र नहीं किया है वरन् 'ख्वाजा कमालुद्दीन' जैसी कुछ सहायताओं का जिक्र किया है (जिसे मरे हुए १० वर्ष होगए हैं जो कभी स्थानीय नहीं था)।

परन्तु लेखक भूल जाता है कि हमारी शिकायत का मुख्य विषय यह था कि मुस्लिम संस्थाओं पर बहुत बड़ी राशि ख़र्च की जा रही है और दूसरी संस्थाओं पर नाम मात्र ख़र्च किया जा रहा है। जब कि राजकर मुख्यतया हिन्दुओं की जेबों से आता है। हमने अपने (The case of Arya Samaj) पुस्तक में निम्न कतिपय सचाइयां दी थीं जिन्हें लेखक ने छुआ तक नहीं है। आरोप अत्यन्त स्पष्ट और अकाट्य हैं।

परिशिष्ट १

[अ]

न्यूज एजेन्सियां जो आर्य्यसमाज के विरुद्ध चलाए हुए निजाम सरकार के प्रौपेगेंडे को सहायता देती हैं।

(१) दक्षिण न्यूज सर्विस
(२) आज़म „ „
(३) एसोशियेटेड प्रेस आफ इण्डिया लिमिटेड।

[ब]

मुस्लिम समाचार पत्र जो राज्य के हिन्दुओं और मुसलमानों के खिलाफ़ ज़हर उगलते हैं।

(१)	रहबरी दकन	दैनिक
(२)	सुबेह „	„
(३)	सहीफ़ा	„
(४)	वक्त	„
(५)	खलीक	साप्ताहिक
(६)	वाज़ (धर्म विभाग का मुख पत्र)	मासिक

[स]

हिन्दुओं व आर्य्यों का साहित्य जो राज्य में ज़ब्त किया गया है।

(१) दर्शनानन्द ग्रन्थ संग्रह

(२) क़ब्र के फरिश्ते — पं० गङ्गाप्रसाद उपाध्याय कृत
(३) औरतों की लूट — ”
(४) हिन्दू धर्म का नाश
(५) इस्लाम से प्रश्न
(६) कुरान में तज्जलिए वेद — पं० नरेन्द्रदेव कृत
(७) हुज्जतुल इस्लाम — पं० लेखराम कृत
(८) जवाहर अवेद खुदा, रूह और मादा की कयामत — पं० चमूपति कृत
(९) रँगीला गजरा — रङ्गीलाल गौड़ कृत
(१०) नल दमयन्ती
(११) दुर्गादास
(१२) स्वामी श्रद्धानन्द
(१३) देश का दुखड़ा
(१४) हिन्दू जागो
(१५) महाराणा प्रताप
(१६) शिवाजी का पवारा
(१७) ग्रामोफ़ोन रिकार्ड (सहल गढ़ का पवारा)

[द]

मुस्लिम साहित्य जो हिन्दुओं और आर्य्यों के विरुद्ध जहर से परिपूर्ण है परन्तु जब्त नहीं किया गया है केवल थोड़े से नाम दिये जाते हैं।

(१) खून के आंसू
(२) बुत शकीन
(३) कुफ्र तोड़
(४) मुरकी कासिम हसन निज़ामी कृत
(५) दाइए इस्लाम
(६) सरवरे आलम — सद्दीक दीनदार कृत

[य]

निज़ाम राज्य में हिन्दू संस्कृति का किस प्रकार विनाश किया जा रहा है। निम्न स्थानों के हिन्दू नामों के स्थान में मुस्लिम नाम रक्खे गये हैं:—

हिन्दू नाम	मुस्लिम नाम
(१) चित्तगुप्पा	मोहनाबाद
(२) असेली	जहीराबाद
(३) दुबल गुन्डी	करीमाबाद
(४) बीदर	महमूदाबाद
(५) मुरग	कमाल नगर
(६) अम्बा गोगई	मोमिनाबाद
(७) धारूर	फतेहाबाद
(८) धारशिव	उस्मानाबाद
(९) इन्दुर	निज़ामाबाद
(१०) उज्जेर	हिसम्माबाद
(११) चरक पल्ली	चिरगपल्ली
(१२) खरका	मुकरमाबाद
(१३) गंगवारम	विकराबाद
(१४) तन्नुर	बशीराबाद
(१५) वरौना	हिदायतनगर
(१६) माली गढ़ी	हिज़ामनगर
(१७) मोचइसंड की वडी	मुशीराबाद

परिशिष्ट २

[अ]

निज़ाम राज्य से बाहर के निज़ाम सरकार के पंचवर्षीय दान

लन्दन क़ब्रिस्तान	पौंड १००००
नब्द रिलीफ़	रु० ६००००
फ़िलस्तीन	,, १००००
बलूचिस्तान लजर	,, १०००
लन्दन की मसजिद	,, ५०००००
मदीना के लोगों को	,, १२०

लन्डन हस्पताल	रुपया	१०००
मीना ,,	पौंड	००
देहली तिब्बी हस्पताल	रु०	१००००
मुस्लिम विधवा फन्ड देहली	,,	५०००
देहली निज़ामुद्दीन दरगाह	,,	५०००
वेडोनिस	,,	२५०
फ़िलस्तीन के मुसलमानों को	पौंड	५३०
,, की मसजिद की मरम्मत के लिए	रु०	५०००
अजमेर शरीफ	,,	२०००
शफीअहमद	पौंड	५०
,, ,,	,,	१००
क़ुरान का अँग्रेजी अनुवाद	रु०	७८०४
औलिया दरगाह	,,	१५०००
हाजी अब्दुलरहीम	,,	५००
टर्की के भूतपूर्व सुलतान को	,,	५०००
हाजी शेख इस्माइल	,,	५००
विश्वभारत की अरबी की गद्दी के लिए	,,	१०००००
नैशनल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया देहली		५००००
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी		१००००००
पानीपत मुस्लिम स्कूल		२००००

[ब]

स्थानीय संस्थाओं को पंच वर्षीय दान

	रु०
अब्दुल अली मुन्सिफ पारगी	१३६२
सरदार अज़मतुल्ला	५८८२
,, ,,	११००
गुलबर्गा मुस्लिम अनाथालय	३६६३६
......के लेखक को	६००

नवाब हैदरजंग	२०००
उस्मानिया यूनिवर्सिटी का समाचार पत्र	११३४
संपादक इस्लामिया कल्चर	२५०
सूबा दक्षिण अखबार	१४१०
सहीफा अखबार	२५००
दरगाह औरंगाबाद	१२००
शाहनामा इस्लाम की व्याख्या	४१०
धार्मिक पुस्तक दीनियत	१६२५
जरनल (अखबार) मयरिसियां	२०००
प्रभानी की मस्जिद	६१००
शाहमिर्जा बेग	६०००
श्रीमती मिर्जाबेग	३६००
दीनियत पुस्तकें	४३२
चुंगी विभाग के सिराजुल हुसैन को	४००
मस्जिदें	१५००

मुस्लिम अखबारों और अन्य मुस्लिम संस्थाओं को सहायतार्थ बड़ी बड़ी रकमें दी जाती हैं:—

मुस्लिम आउटलुक लाहौर		५८३४ वार्षिक
पैसा अखबार	दान—	३३३४
अंजमन तारिके उर्दू		५००००
ख्वाजा कमालुद्दीन		२८००
मोइदुल इस्लाम		४००
इण्डियन न्यूज ऐंड स्टेट्स		२८००

स्पष्ट है कि निजाम सरकार मुस्लिम पक्षपातिनी वृत्तियों से परिपूर्ण है और देश तथा विदेश की मुस्लिम संस्थाओं पर लाखों रुपये खर्च कर रही है। हिन्दू किसानों और कर दाताओं की गाढ़ी कमाई इस रीति से उड़ाई जा रही है।

[ख]

निज़ाम राज्य द्वारा धर्म्म संस्थाओं की सहायता का योग

	योग	मुसलमानों को	हिंदुओं को	ईसाइयों को	पारसी
वार्षिक धार्मिक सहायताएं	२०५८२२	१८६७४२	१८००	१४२८०	×
खास धार्मिक वार्षिक सहायताएँ	२०५०४६	२००६४२	१३४४	२४६०	६००
वार्षिक अनोपकारक सहायताएँ	५१७०	५१७०	×	×	×

अध्याय १०

मिश्रित

'तबलीग का जिक्र करते हुए' सरकार पर यह मिथ्या दोषारोपण किया गया है कि हिन्दू समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए सरकार तबलीग को सहायता देती है। परन्तु आर्य्य समाज की शुद्धि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। (पृष्ठ ६६)

(१)

हमने अन्यत्र इस आक्षेप पर विचार किया है कि निजाम सरकार तबलीग को न केवल सहायता ही देती है वरन् इसका संरक्षण भी करती है। आक्षेप की पुष्टि में हमने प्रामाणिक सबूत भी दिए हैं और उन सबूतों का हमारा मित्र अपनी पुस्तक में घटनाओं और अंकों से खंडन नहीं कर सकता है। आक्षेप इतना सुस्पष्ट है कि इसे 'निराधार बदनामी' कहना नितान्त अनुचित है। आर्य्य समाज के शुद्धि आन्दोलन के सम्बन्ध में हमारा मत है कि प्रचार और शुद्धि करना प्रत्येक धर्म्म का अधिकार है। हम यह अधिकार सब धर्म्मों को प्रदान करते हैं। इस्लामी तबलीग को भी बशर्ते कि उचित सीमाओं के भीतर इसका उपयोग किया जाय। हमारा सब से बड़ा आक्षेप यह है और प्रत्येक समझदार व्यक्ति हम से सहमत होगा कि वह सरकार जो सब लोगों की है और जिसका अपना कोई धर्म्म नहीं होना चाहिए राज कोष का धन, एक विशेष धर्म्म के प्रचार पर जिसके अनुयायियों की संख्या राज्य में मुशकिल से १० प्रतिशतक होगी, पानी की तरह बहा रही है। और इस प्रकार उस कार्य्य पर करदाता के कर को खर्च करके जिसके लिए वे प्राप्त नहीं किए गए थे, एक अपराध (जुर्म) कर रही है। सबके लिए खुला हुआ मैदान हो और सब सामने आकर काम करें इससे हम नहीं डरते हैं। 'हिन्दू समाज का ह्रास' करने के सम्बन्ध में यह भावी आशंका 'अथवा थोथा संदेह' नहीं है। यह एक सुस्पष्ट घटना है जिसे कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति स्वयं देख सकता है। जिस आदमी के विशेष स्वार्थों की पूर्ति होती हो भलेही वह इसके प्रति अपनी आंखें बन्द कर ले और दुनिया की आंखों में धूल झोकने के लिए मामले पर लीपा पोती

करे परन्तु सच्चाई मौजूद है और इतनी नंगी है कि पर्दे के भीतर नहीं छुप सकती है।

(२)

'इन अखाड़ों का उद्देश्य अधिक काल तक शारीरिक व्यायाम नहीं रहा था वरन् साम्प्रदायिक युद्ध करने वा अपनी रक्षा के लिए सदस्यों को काबिल बनाना था।" (पृष्ठ ४५)

प्रत्येक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति इस प्रकार की हास्यास्पद सफ़ाई पर हँसेगा। समस्त शारीरिक व्यायामों से शरीर पुष्ट होता है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो व्यायाम व्यर्थ है।

क्या इसका इसलिए तिरस्कार किया जाय कि साम्प्रदायिक रक्षण वा आक्रमण में वह प्रयुक्त होती है? बुराई की जड़ पर ही कुठाराघात क्यों नहीं किया जाता बजाय इसके कि शारीरिक बल को निरुत्साहित और शारीरिक दौर्बल्य को प्रोत्साहित किया जाता है। क्या सार्वजनिक शान्ति के लिए पतले दुबले व्यक्ति अधिक वाँछनीय हैं? यदि यही बात है तो हिन्दुओं की भोजनशालाओं पर "पूरा २ नियंत्रण" क्यों नहीं किया जाता? उनमे पौष्टिक खुराक खाने से लोगों को रोकना चाहिए क्योंकि इस प्रकार प्राप्त किए हुए बल को वे साम्प्रदायिक रक्षण वा आक्रमण में प्रयुक्त कर सकते है। इस उद्देश्य के लिए रहने के लिए कबरिस्तान ही निश्चित रूप से निर्दोष स्थान हो सकते है। साम्प्रदायिक उत्पातों और साम्प्रदायिकता का उन्मूलन ही रियासत की सर्वश्रेष्ठ निर्लेप निष्पक्षता है। निजाम की सरकार ने साम्प्रदायिकता के केवल बीज ही नहीं बोए हैं बल्कि इसके राजनैतिक विशेषज्ञों द्वारा आविष्कृत समयानुसार वैज्ञानिक उपायों से इस पौधे को पल्लवित किया जा रहा है। यदि इसका परिणाम साम्प्रदायिक मनोमालिन्य और अशांति है तो उपद्रवियों को दोष क्यों दिया जाता है? जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।

(३)

'आर्य्य प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य ... देहली की आर्य्य सार्वदेशिक सभा के साथ संयोजित है और इन्टरनैशनल एर्यन लीग से भी इसका मार्गप्रदर्शन होता है।" निजाम सरकार को यह स्वप्न आते रहते हैं कि बाहरी संस्थाएं राजनैतिक उद्देश्य के लिए उसकी राज भक्त प्रजा को उकसाती रहती हैं। और सब

से बड़ा दुर्भाग्य यह है कि निजाम का शासनयन्त्र कर दाता के लिये अत्यन्त खर्चीला होते हुए भी सत्य की जांच करने में बड़ा निकम्मा है पुस्तक के प्रारम्भ में हमने दिखलाया है कि 'इन्टरनैशनल एर्यन लीग' सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का केवल अंग्रेजी नाम है। हम जनता को यह भी बता देना चाहते हैं कि यह सार्वदेशिक सभा बाहरी संस्था नहीं कही जा सकती है। प्रत्येक आर्य्य समाज भले ही वह संसार के किसी भाग में क्यों न हो, एक बड़े शरीर का अंग मात्र है, और सार्वदेशिक सभा उसका हृदय है। समस्त आर्य्य समाजें अपनी प्रान्तीय प्रति निधि सभाओं के द्वारा सार्वदेशिक सभा के साथ सम्बन्धित होनी चाहियें और समस्त धार्मिक मामलों में इसके शासन और पथ प्रदर्शन को स्वीकार करना चाहिए। अतः यदि हैद्राबाद की आर्य्य समाजें निर्देश और सहायता के लिए अपने मामले सार्वदेशिक सभा में भेजते हैं तो वे बाहरी संस्थाओं से सम्पर्क रखने के अपराधी नहीं हो सकते। सार्वदेशिक सभा के साथ सम्बन्धित होने के कारण ऐसा करना उनका एक आवश्यक कर्तव्य है।

४

श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त की यात्रा।

"श्री घनश्यामसिंह गुप्त द्वारा वर्णित शिकायतों की श्रीयुत हौलिन्स ने जांच की थी और जांच के परिणामों से श्री गुप्त जी को सूचित कर दिया गया था। शेष शिकायतों के सम्बन्ध में स्मरण कराए जाने पर भी श्रीयुत विनायकराव ने उन्हें लिख कर अब तक नहीं भेजा है अर्थात् सरकार के निमंत्रण से लाभ नहीं उठाया है" (पृष्ठ ४)।

सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंह गुप्त हैद्राबाद के आर्य्य समाजियों की धार्मिक शिकायतों का ठीक ठीक परिज्ञान प्राप्त करने और यथासाध्य अधिकारियों के नोटिस में उन्हें लाने के उद्देश्य से हैद्राबाद गए। वे वहाँ २९ जून से ३ जुलाई १९३८ तक ठहरे और आर्य्यसमाज तथा दूसरे वर्गों के कई प्रमुख २ व्यक्तियों से मिले। उन्होंने सर अकबर हैदरी और राज्य के अन्य उच्च कर्मचारियों से भी भेंट की। उनकी शिकायतें दो शीर्षकों के अन्तर्गत थी। पहले प्रकार की शिकायतें सरकार द्वारा निर्मित क़ायदे और कानूनों से सम्बन्धित थीं और दूसरे प्रकार की शिकायतें दुर्व्यवहार, अत्याचार और पक्षपात पूर्ण व्यवहार के इलज़ाम थे।

(अ) प्रथम शीर्षक के एक उदाहरण के रूप में उस नियम का उल्लेख किया जा सकता है जिसके अनुसार नए मन्दिरों का निर्माण, पुरानों का जीर्णोद्धार और सरकार के धर्म्म विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना आर्य्य समाज की स्थापना वर्जित है। इस प्रकार की निषेधाज्ञा आर्य्य समाज और सम्मिलित उपासना तथा प्रार्थना के लिए प्राइवेट घरों में हवनकुण्ड की स्थापना को वर्जित ठहराती है।

(ब) उस नियम की परिभाषा जिसके अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के लड़कियों के प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों का खोला जाना भी निषिद्ध है निम्न प्रकार है:—

"वे शिक्षा संस्थाएं प्राइवेट संस्थाएँ समझी जायँगी जिनके छात्रों की संख्या रजिस्टर में १५ या अधिक होगी और जिन्हें न तो सरकार से कोई ग्रान्ट मिलती होगी और जो न सरकार के शिक्षा विभाग से किसी प्रकार भी स्वीकृत होंगी।

इनके सम्बन्ध में श्री. घनश्यामसिंह जी ने सरकार के उन सब कर्मचारियों से जिन से उनकी भेंट हुई थी यह कहा था कि आर्य्य समाजी और हिन्दू इस प्रकार के नियमों को ही निकृष्ट तथा उनके वास्तविक प्रयोग और प्रचलनको निकृष्टतर समझते हैं अतएव उन्होंने इन नियमों को रद्द करने का आग्रह किया जैसा कि राज्य के आर्य्य समाजियों ने भी किया था। यहाँ यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि श्री गुप्त जी ने यह बात तत्काल मान ली थी कि पुराने मन्दिर या मसजिद के निकट नए मन्दिर या मसजिद की आज्ञा देने से जो साम्प्रदायिक झगड़ा उत्पन्न हो सकता है उसकी सम्भावना का दूर किया जाना वांछनीय है और यह कहा था कि यदि इस सम्बन्ध में स्पष्ट नियम बना दिए जावें कि पुराने मन्दिर या मसजिद से खास फ़ासले पर नए मन्दिर या मसजिद नहीं बनाए जाने चाहियें तो आर्य्य समाजियों को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

यह बड़े दुःख की बात है कि निजाम सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक में इस अत्यन्त आवश्यक विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

दूसरी प्रकार की शिकायतों की गुप्त जी को एक पूरी सूची दी गई थी और उनमें से बहुतसी शिकायतों को अधिकारियों के नोटिस में लाए थे और उन्होंने यह आशा प्रकट की थी कि यदि उन सब की बाहर के लोगों के द्वारा जिनमें सब का विश्वास हो जाँच परताल कराई जाय तो सरकार को वस्तु-स्थिति का पता लग जायगा। चूंकि यह संभव नहीं बतलाया गया था इसलिए श्री गुप्त जी इस बात पर राजी होगए थे कि यदि पुलिस के डाइरेक्टर जनरल श्रीयुत हौकिन्स के द्वारा उन

सब शिकायतों की खुली जांच कराई जाय तो उससे सरकार को व्यवस्थित दुर्व्यवहार, अत्याचार और पक्षपात की आर्यसमाजियों की शिकायतों की सत्यता विदित होजायगी।

हाईकोर्ट के वकील श्रीयुत विनायकराव जी ने ऐसा करने को श्रीयुत हौलिन्स को प्रेरणा की, परन्तु श्री हौलिन्स ने उन्हें कहा कि मैं गुप्त जी द्वारा बतलाई हुई लम्बी सूची की जांच परताल नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने को केवल कल्याणी के मामले तक सीमित रक्खूंगा और उसमें भी मुख्य मुकद्दमे की जांच परताल नहीं करूंगा, क्योंकि पुलिस ने पहले से ही मुकद्दमा चला रक्खा है और वह अदालत के सामने है। श्रीयुत विनायकराव ने अतिरिक्त सूचियां नहीं दीं, क्योंकि श्रीयुत हौलिन्स उनकी जांच परताल करने को राजी नहीं थे।

(५)

हमारे आन्दोलन के भीतर काम करने वाली मनोभावना को दिखलाने के लिए पुस्तक में श्रीयुत सावरकर का एक पत्र जोड़ा गया है, जो उन्होंने श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त को भेजा था। यह समझना कठिन है कि सावरकर जी का पत्र आर्य्य समाज के आन्दोलन की मनोभावना को कैसे प्रगट कर सकता है जब कि वे न स्वयं आर्य्य समाजी हैं और न किसी आर्य्य समाज से उनका सम्बन्ध है। यहां यह प्रगट किया जा सकता है कि श्रीयुत गुप्त जी तथा श्री सावरकर जी पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, न आपस में उनकी भेंट हुई थी और न किसी प्रकार का कोई पत्र-व्यवहार हुआ था। यही पहला और एक मात्र पत्र था जो श्री. घनश्यामसिंह जी गुप्त को सावरकर जी की ओर से प्राप्त हुआ था।

आर्य्यसमाज की मांग पहले ही शोलापुर के प्रस्ताव सं० ४ में वर्णन करदी गई है और प्रस्ताव सं० ५ में वर्णित हमारा तात्कालिक उद्देश्य समस्त निष्पक्ष लोगों पर यह बात स्पष्ट कर देता है कि आर्य्य समाज का आन्दोलन विशुद्ध, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए है।

हिन्दू सभा, स्टेट कांग्रेस और आर्य्य समाज की लड़ाई में बहुत ज्यादा अन्तर है। उनकी लड़ाइयों की सीमा विस्तृत है और स्वरूप भिन्न है। इन तीनों को अथवा इन में से किसी को आर्य्य समाज के मामले के साथ मिलाना यातो नितान्त अनभिज्ञता का फल है अथवा जान बूझ कर बदनाम करने का यत्न है।

(६)

कुछ वर्ष हुए, शिया सुन्नी झगड़े के दौरान में यह विदित हुआ था कि बाहरी उपदेशक हैद्राबाद में आने पर अनुचित आज़ादी का उपयोग करके साम्प्रदायिक भावों को भड़काने का यत्न करते हैं। अतएव मुस्लिम प्रचारकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना वांछनीय समझा गया था। हैद्राबाद के दंगे से कुछ समय पूर्व से रिपोर्टें आनी शुरू होगई थी कि बाहरी हिंदू प्रचारक साम्प्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित कर रहे हैं अतएव सरकार ने दंगे के दौरान में अपने पहले आर्डर समस्त जातियों के प्रचारकों पर लागू करने का फैसला करदिया था यह नोट किएजाने योग्य है कि सरकारी आर्डर हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सब पर लागू होते हैं 'एक वर्ष' के बाद इन आर्डरों पर पुनर्विचार किया जाता है। (पृष्ठ ४८)

यह तमाम बयान भ्रम में डालने वाला है। यदि आर्डर पुराने बल्वे से सम्बन्धित था तो उसके खत्म होते ही वह वापस ले लिया जाना चाहिए था। बाहर के प्रचारकों पर प्रतिबन्ध लगाना राज्य के लोगों को 'बन्द कुएं के मेंढकों के सदृश रखना है। किसी नियम के सब पर लागू होने से उसका निकम्मा अथवा बुरापन नष्ट नहीं हो जाता है। ब्रिटिश भारत में अन्धाधुन्ध रीति से सब लोगों पर लगा हुआ इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यदि कोई व्याख्याता कानून तोड़ता है तो उस पर मुकद्दमा चलाया जाता है। यह काफी है। यदि किसी व्यक्ति पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो वह केवल नियत समय के लिए होता है। परन्तु निजाम की सरकार अजीब है। जो दवाइयां महामारियों के समयों के लिए तथा केवल कुष्ठरोगियों के लिए होती है वे सब आदमियों को सब समयों में दीजाती है। आप कहते हैं कि "इन नियमों पर १ वर्ष के बाद पुनर्विचार किया जाता है"। क्या आपकी सरकार ने कभी ऐसा क्या है ? पंडित रामचन्द्र जी देहलवी पर लगा हुआ प्रतिबन्ध सदैव के लिए है। अन्यों पर भी इसी प्रकार के प्रतिबन्ध हैं। कठोर शर्तों पर विचार करो! न केवल व्याख्याताओं पर ही वरन् उन्हें अपने घर में ठहराने वालों (मेजबानों) पर भी मुकद्दमा चलाया जायगा। इसके बाद प्रत्येक व्याख्याता से यह आशा करनी असम्भव है कि वह अपने भाषण की कापी पूर्व्व दे दे देवे। निजाम की सरकार अन्य सभ्य सरकारों से सबक क्यों नहीं सीखती है। क्या निजाम राज्य का जल वायु विशेष प्रकार का है ? सन्देह से सन्देह का जन्म होता है।

(८)

अपने पुस्तक के प्रारम्भिक पृष्ठों हमने उन वैध उपायों का छोटा और विस्तृत परिचय दिया है जो हम अपनी शकायतों के निराकरण के लिए ६ वर्ष तक काम में लाते रहे थे। निजाम सरकार की पुस्तक में इस बात का कोई जिक्र न करने का विशेष ध्यान रखा गया है। निजाम सरकार की ओर से हमें कोई उत्तर नहीं मिला था इस का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वस्तुतः निजाम सरकार ने हमारी आवाज के प्रति अपने कान सदैव बहरे रखे हैं। हमने अपने पुस्तक में निजाम पुलीस के वास्तविक रही आर्डर उद्धृत किए थे जो आर्य्य समाज के कार्य्य कर्त्ताओं को तंग करने के लिए समय समय पर दिए गए थे। पुस्तक में उनका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है।

'श्रोताओं को मुसल्मानों से युद्ध करने, कत्ल करने और बर्बाद करने की शिक्षा दी जाती है क्योंकि देश हिन्दुओं का है मुसल्मानों का नहीं। कुछ चेत्रों में वे लोग यहाँ तक बढ़ गए हैं कि प्रजा को यह सिखाते हैं कि जमीन का लगान मत दो और सरकारी कर्मचारियों और मुसल्मानों का बायकाट करदो।" (पृष्ठ २)।

हमारे मित्र का दिमाग़ उपजाऊ है। जो चीज कहीं न हो। उसे भी देखने का वह दम भरते हैं। आर्य्य समाज ने बार बार यह उद्घोषित किया है कि टैक्सों की गैर अदायगी अथवा अफसरों और मुसल्मानों के बायकाट से उसका कोई सरोकार नहीं है।

प्रत्येक चीज को आर्य्य समाजियों के जिम्मे डालना और वक्त बेवक्त साम्प्रदायिक आन्दोलन की आवाज बुलन्द करना, हमारे मित्र का एक नियम बन गया है। पण्डित चन्द्रभानु जी का एक वक्तव्य हमें अभी मिला है। उसमें वे लिखते हैं कि जो व्याख्यान मेरा बतलाया है वह सी० आई० डी० का खालिस झूठ है। उन्होंने नवाब महँदीयारजंग बहादुर तक के शब्दों को उद्धृत किया है:—

"पोलीटिकल सदस्य ने यह उत्तर देने की कृपा की थी कि पण्डित चन्द्रभानु के विरुद्ध जो कार्य्यवाहि की गई थी उसका उनके आर्य्य समाजी होने से कोई सम्बन्ध नहीं था। राज्य की पुलीस को उन से किसी क़िस्म की कोई शिकायत नहीं थी।"

पण्डित चन्द्रभानु के विरुद्ध हुई कार्य्यवाहि का तमाम दोष नवाब महोदय

ब्रिटिश सरकार के जिम्मे मढ़ते हैं और ब्रिटिश सरकार स्पष्ट शब्दों में इन्कार करती है। मज़ा यह है कि निज़ाम सरकार ग़लती की दुरुस्ती के लिए तय्यार नहीं है! क्या यह आंख मिचौनी नहीं है? इस पर हमें 'भेड़िए और मेमने' की कहानी याद आती है।

(८)

बहुधा यह बतलाया जाता है कि नवाब बहादुर यारजंग समझौते कीबातचीत कर रहे हैं। परन्तु इन शान्तिप्रिय भद्र पुरुष की मनोवृत्ति उनके उस वक्तव्य से जांची जा सकती है जो २६ अगस्त १९३६ के रहबरे दकन में प्रकाशित हुआ था और जिसमें उन्होंने आर्य्य समाज को झगड़ालुओं का समाज कहा था।

(९)

निज़ाम राज्य में पंजाब के सब हिन्दू पत्रों का दाखिला बन्द कर दिया गया है परन्तु मुस्लिम पत्र नियम से आ रहे हैं। यह मालूम हुआ है कि निज़ाम सरकार अपने व्यय पर एक मुस्लिम पत्र का ५०० प्रतियां खरीदती और प्रति वर्ष ७५००) व्यय करती है। साम्प्रदायिक निष्पक्षता का कैसा बढ़िया नमूना है। मानो न्याया-वतार न्याय की गद्दी पर आ विराजे हैं!

हमारी मांग के सम्बन्ध में कि "आर्य्य समाजी सरकारी कर्मचारियों के साथ उनके आर्य्य समाजी होने के कारण दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए" पुस्तक में लिखा गया है कि 'यह बिल्कुल ग़लत है"।

रिपूर बुज़ुर्ग के सहायक अध्यापक म० गन्डेराव से जो प्रश्न किए गए हैं उनकी तरफ़ पाठकों का ध्यान खींचते हैं:—

(१) तुम में साम्प्रदायिक स्पिरिट है। अकसर तुम आर्य्य समाज की सभाओं में जाते तथा लेक्चर देते हो। तुम ऐसा क्यों करते हो?

(२) साम्प्रदायिक (फ़िरकेदाराना) जलसों से अलग रहने के शिक्षा-विभाग के आर्डरों की मौजूदगी में तुमने नियम का उल्लंघन क्यों किया? तुम क्या कहना चाहते हो?"

ह० सय्यद मौलवी करीम अहमद

सुपरिन्टेन्डेन्ट शिक्षा विभाग गुलबर्गा।

इस प्रकार की लिखित शहादतों की मौजूदगी में यह कहना कि आर्य्यों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है और कि 'आक्षेप नितान्त ग़लत है' बिल्कुल बेहूदा है।

कैम्प खाकसारान क याणी शरीफ

(१) ध्वजा विशेष प्रकार की है (२) मध्यस्थित स जन (हाथ में बेत लिए हुए) शहर का काजी और सरकारी कर्मचारी है (३) दूसरा पंक्ति म (टोपी पहने हुए) सरकारी स्कूल में निल मास्टर है (४) तीसरी पंक्ति में खड हुए कचहरी के बहुत स चपरासी है

लाला खुशालचन्द (पुष्पमाला पहने हुए) हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के तीसरे डिक्टेटर जिनका शोलापुर जाते हुए देहली रेलवे स्टेशनपर स्वागत किया गया

श्री महात्मा नारायण स्वामी अपने सत्याग्रही जथे के साथ ४ फरवरी १९३९ को शोलापुर स्टेशन से गुलबर्गा को रवाना हो रहे हैं।

श्री कुंवर चान्दकरण शारदा हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के द्वितीय डिक्टेटर का बम्बई स्टेशन पर स्वागत।

अध्याय ११

मांगी रोटी, पाया पत्थर

'The Case of Arya Samaj in Hyderabad State' में हमने निम्न १४ माँगे की थीं:—

सभा की हैदराबाद रियासत से माँग है कि—

(१) गश्ती निशान ५४ को मन्सूख कर दिया जावे।

(२) क़वायद तकरीबात मज़हबी मन्सूख कर दिये जावें।

(३) क़ानून अखाड़ा मन्सूख कर दिये जाँय।

(४) खानगी मदरसे की गश्ती मन्सूख कर दी जाय।

(५) फिर्केवारी दंगों के मुकद्दमे की तहकीकात निष्पक्ष कमीशन द्वारा कराई जाय।

(६) बाहरके उपदेशकों पर इजाजत की पाबन्दी न लगाई जाय कोई खिलाफ कानून काम करे तो मुकदमा चलाया जाय। जिसका दाखला बन्द है खोल दिया जाय।

(७) पुस्तकें बिना जाँच जब्त न की जावें।

(८) समाचार पत्र के निकालने की आज्ञा दी जाय।

(९) मुसलमान हिन्दू और आर्य्यों के त्योहार एक साथ आने पर उनके मनाने की स्वतन्त्रता रहनी चाहिये।

(१०) आर्य्यसमाज, हवन कुण्ड के स्थापित करने के लिए इजाजत की जरूरत न रखी जाए।

(११) जेल खाने में कैदियों को मुसलमान न बनाया जाय और हमको उनमे प्रचार की आज्ञा हो।

(१२) सरकारी नौकर जो आर्य्य हैं उन पर आर्य्य होने के कारण सख्ती न की जाय।

(१३) आर्य्यों को अपने घरों पर और आर्य्य समाज पर झण्डा लगाने की स्वतन्त्रता दीजावे।

(१४) गुलबर्गा, निजामाबाद, हैदराबाद के मुकद्दमों की तहकीकात निष्पक्ष कमीशन द्वारा की जाये।

अब सबने यह स्वीकार कर लिया है कि ये मांगें अत्यन्त युक्ति युक्त और जरूरी थीं तथा यदि निजाम की सरकार की समझौते की कोई इच्छा होती तो वह उन्हें तत्काल स्वीकार कर लेती। निजाम सरकार ने अपनी पुस्तक में जो उत्तर दिए हैं उन में मामले पर लीपापोती करने और सचाइयों को छिपाने का यत्न किया गया है जैसा कि हमने उचित स्थानों पर दिखलाया है। हम देखते हैं कि आर्य्य समाज के कार्य्य कर्त्ताओं पर पुलिस के अत्याचारों का पंजा कठोर होता जा रहा है। अधिकारियो पर एक प्रकार का पागलपन सवार होगया मालूम होता है। घावों पर मरहम लगाने के बजाय पुराने घावों को खुरचा जा रहा है। राज्य के समझदार कर्मचारी सेवा से पृथक् होने के लिए मजबूर हो गए प्रतीत होते हैं और पुलिस की क्रोधाग्नि को खुली छुट्टी देदी गई मालूम होती है। मुश्किल से ही कोई दिन गुजरता होगा जब पुलिस, फ़ौज के सिपाहियों, रुहेलों अथवा इन सबके द्वारा लोगों की गिरफ्तारी, क़स्बों की बरबादी तथा स्त्रियों के साथ छेड़खानी की रोमांचकारी कहानियाँ न सुनते हों।

इन आरोपों की पुष्टि में निम्न कुछ घटनाएँ उद्धृत किए जाने योग्य हैं।

(१) चिटगोपा में नामदेव नामक एक आर्य्य भाग गया है। १६-११-३८ को अमीन ने उसकी धर्म्म पत्नी को इतना डराया-धमकाया कि १७-११-३८ को वह कुएँ में डूब कर मर गई।

(२) २७-११-३८ को पुलिस ने मोरखंडी के १३ आर्य्य नव युवकों को एक रस्सी से बाँधा परन्तु कुछ आदमियों के बीच में पड़ने से बाद को सबको छोड़ दिया। १-१२-३८ को पुलिस के लगभग १०० आदमियों ने आकर २५० आदमियों को गिरफ्तार किया जिन में से १८ गंजोटी की जेल में ठूंसे गए। इन १८ में से शिवप्पा (स्थानीय आर्य्य समाज के प्रधान) रामचन्द्र, मारुति और भीमराव मर गए हैं। रात में खाकसार तथा अन्य लोगों ने आजादी से गांव को लूटा। १७ बहमन (२१-१२-३८) को ११ आदमी गिरफ्तार किए गए। नरसिंह नामक एक नवयुवक बड़ी निर्दयता से पीटा गया। उसका दांत टूट गया था।

(३) १४-१-३६ से १७-१-३६ तक उजनी में लोगों की आम गिरफ्तारियां की गईं। बहुत से लोग घर छोड़ छोड़ कर भाग गए हैं। बेचारी स्त्रियों ने अपने को

घरों में बन्द कर लिया है। यदि वे पानी लाने के लिए बाहर आती हैं तो उन्हें तंग किया जाता है।

(४) घुड़ सवारों का एक दस्ता उजलम गया था इसका उद्देश्य लोगों को भयभीत करना था।

पं० श्यामलाल जी का दुखद अन्त

बीदर जेल में पं० श्यामलाल की मृत्यु एक दुख-जनक कहानी है। पं० श्यामलाल आर्य्य समाज के उत्साही और प्रसिद्ध कार्य्यकर्त्ता थे। पिछले कुछ समय से वे बीमार थे और बम्बई के प्रसिद्ध वैद्य उनकी चिकित्सा कर रहे थे। वे बहुत दिनों से मुसलमानों की आँखों में खटक रहे थे। पिछले दशहरा पर उदगीर में अचानक दंगा हो गया। श्यामलाल जी रोग-शय्या से उठ कर घर पर आए हुए थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के इस मौक़े से लाभ उठाया और विचाराधीन क़ैदी के रूप में उन्हें बीदर जेल में रक्खा। श्यामलाल जी तथा उनके रिश्तेदारों ने बार बार अधिकारियों को कहा कि उनका स्वास्थ्य चिन्ताजनक अवस्था में है अत: उनके लिए विशेष ख़ुराक की ज़रूरत है। परन्तु अधिकारियों ने कोई पर्वा न की। शोलापुर आर्य्य कांग्रेस के दिनों में १८-१२-३८ को निज़ाम पुलिस की देख-रेख में श्यामलाल जी की लाश लाई गई जहाँ उनके भाई वंशीलाल तथा आर्य्य समाज के अन्य लीडर ठहरे हुए थे। महात्मा नारायण स्वामी जी ने शरारत की आशंका करते हुए एक योग्य प्रामाणिक डाक्टर से लाश की तत्काल परीक्षा कराई। उनका (डाक्टर का) निर्णय यह था कि श्यामलाल जी को भूखा रक्खा गया है। उनके शरीर पर कई घाव थे जिनसे सिद्ध होता था कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। पं० विनायकरावजी को पं० श्यामलाल का एक पत्र मिला था जिस में उन्होंने इस व्यवहार की शिकायत की थी।

पं० श्यामलाल जी के शव का, उनके पत्र का तथा डाक्टर के सार्टिफ़िकेट का चित्र अन्यत्र दिया गया है। आर्य्य कांग्रेस शोलापुर ने २७-१२-३८ को निम्न प्रस्ताव पास किया:—

'आर्य्य प्रतिनिधि सभा निज़ाम राज्य के उपप्रधान धर्मवीर पंडित श्यामलाल जी के अन्तिम पत्र के आधार पर जो उन्होंने बीदर जेल से भेजा था और जिसमें दुर्व्यवहार की शिकायत की गई थी, उनके मृत शरीर को देने से पूर्व लिखित आश्वासन लेने की जेल के अधिकारियों की सन्देह जनक कार्यवाही, शोलापुर में शव परीक्षा की डाक्टरी रिपोर्ट

एवं अन्य कई आवश्यक तथा प्रासंगिक बातों की विद्यमानता में यह सम्मेलन यह आरोप लगाने में युक्तियुक्त है कि पं० श्यामलाल जी की मृत्यु का तात्कालिक कारण उनके प्रति जेल में हुआ दुर्व्यवहार है। यह सम्मेलन इस मामले में खुली जांच की मांग करता है जो हैद्राबाद से बाहर के कानून के प्रसिद्ध पंडितों द्वारा कराई जाय तथा जिसमें सम्बन्धित सभी व्यक्तियों का विश्वास है"।

इस सम्बन्ध में निजाम सरकार ने निम्न उल्लेखनीय वक्तव्य प्रेस को दिया:—

"यह कहा गया है कि गिरफ़्तारी से पहले पण्डित श्यामलाल को स्वास्थ्य ख़राब होने के कारण दूध और फल खाने के लिए दिए जाते थे। विचाराधीन क़ैदी होने की हैसियत में जेल अधिकारियों की आज्ञा से उनके मित्रों और रिश्तेदारों के द्वारा कुछ समय तक उन्हें यह ख़ुराक दी जाती रही और अचानक यह रियायत बन्द कर दी गई। उन्हें ज्वार की रोटी खाने के लिए मजबूर किया गया जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य को बहुत धक्का लगा। यह भी कहा गया है कि ज्वार की रोटी खाने से इन्कार करने पर उन्हें पीटा गया, पैरों में भारी बेड़ियां डाली गई और एकान्त कोठरी में रखा गया गया, इसके आगे यह कहा गया हैं कि लोगों का उनसे मिलना जुलना बिलकुल बन्द कर दिया गया, उनके मित्र और रिश्तेदारों को उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अन्धेरे में रखा गया। पं० बंशीलाल ने सरकार से तार द्वारा जो अपील की थी, कि उनके भाई को दूध और फल की ख़ुराक दिए जाने की आज्ञा दी जाय उसका कोई असर नहीं पड़ा। श्यामलाल की मृत्यु पर उनके रिश्तेदार दत्तात्रेय प्रसाद जी को यह आश्वासन लेकर लाश दी गई कि पुलीस पर उन्हें कोई सन्देह नहीं है। अन्त में यह कहा गया है कि इस प्रकार का आश्वासन लेने की शर्त से लोगों को सन्देह हो गया था और यह कि जब सोलापुर में एक योग्य डाक्टर से शव की परीक्षा कराई गई थी तो शरीर पर कई प्रकार के घाव मालूम हुए थे और इन घावों से यह नतीजा निकाला गया था कि मृत्यु से पूर्व पं० श्यामलाल के साथ दुर्व्यवहार किया गया था।"

सरकार ने ऊपर के प्रत्येक आरोप की पूरी २ जांच कराई और इस जाँच के फल स्वरूप जो वास्तविक बातें मालूम हुई हैं वे जनता की सूचना के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

ख़ुराक का प्रश्न

"श्यामलाल के स्वास्थ्य की खराबी का कारण यह था कि बीदर जेल में

आने से बहुत पहले से वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। जेल के अधिकारियों ने उनके मित्रों और रिश्तेदारों को दूध और केले की विशेष खुराक देने से कभी नहीं रोका, मित्रों ने जब यह विशेष भोजन दिया तब ही श्यामलाल जी को पहुँचाया गया। बहुत दिनों तक मित्रों इत्यादि ने बिना कोई सूचना दिए यह विशेष खुराक नहीं पहुँचाई और उन दिनों में जेल के अधिकारियों ने स्वयं यह खुराक उन्हें दी। हाँ जेल के अधिकारियों ने १३ नवम्बर से १ दिसम्बर तक एक दूसरी विशेष खुराक के तौर पर चावल, दाल और शाक खाने को दिया और यह खुराक श्यामलाल ने स्वीकार करली थी। इस परिवर्तन का उनके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ा था। २ दिसम्बर से मित्रोंने दूध और केला फिर देना शुरू किया था और उनके मृत्यु दिन तक अर्थात् १७ दिसम्बर तक दिया जाता रहा था। यह नोट करने योग्य बात है कि उन्हें जो विशेष खुराक दी जाती थी वह इस रोग के लिए जरूरी नहीं थी और मित्रोंके बन्द कर देनेपर जेल अधिकारियों ने जो यह खुराक उन्हें दी थी वह बतौर रियायत के ही दी थी। वस्तुत: ज्वार की रोटी श्यामलालजी को कभी नहीं दी गई।

श्यामलाल ने ज्वार की रोटी खाने से मना किया था इसका कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यह रोटी उन्हें कभी नहीं दी गई थी। श्यामलाल पीटे गए थे इस आक्षेप का कोई प्रमाण या साक्षी नहीं है इसलिए यह बिलकुल झूठा है।

इस आक्षेप के सम्बन्ध में कि श्यामलाल जी एकांत कोठरी में रक्खे गए थे, यह कहना है कि श्यामलाल जी जेल में बराबर पृथक वार्ड में रक्खे गए थे और यह अन्य क़ैदियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से किया गया था किसी सजा के तौर पर नहीं। इस वार्ड में उन के साथ कुष्ठ रोग से पीड़ित अन्य क़ैदी भी थे।

मुलाकातों की आज्ञा दी गई थी।

यह बिलकुल ग़लत है कि लोगों को उन से मिलने जुलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ६, १० अक्टूबर, १०, १७ और ३० नवम्बर तथा १० दिसम्बर। मुलाकातों की आज्ञा दी गई थी।

अधिकारियों को पण्डित वंशीलाल का तार मिला था और जेल-विभाग ने फ़ौरन तहक़ीकात कराई थी जिसके परिणाम स्वरूप यह मालूम हुआ था कि विशेष खुराक कभी नहीं रोकी गई थी और कुष्ठ रोग के अतिरिक्त श्यामलाल का साधारण स्वास्थ्य अच्छा था और चिन्ता की कोई बात न थी। होम सेक्रेटरी ने आश्चर्य

समाज हैद्राबाद के प्रधान श्री. विनायकराव को १०-१२-३८ को इस आशय का पत्र भी लिख दिया था।

"दत्तात्रेयप्रसाद ने पुलिस को जो बयान दिया था कि उन्हें किसी शरारत का सन्देह नहीं है वह उन्होंने बिना किसी प्रकार के दबाव के स्वयं अपनी मर्जी से दिया था। जितनी अकस्मात मौतें होती हैं उनका पोस्ट मार्टम होता है अतः जेल के अधिकारियों ने श्यामलाल के शव का पोस्ट मार्टम (शव की चीरफाड़) करना चाहा था परन्तु दत्तात्रेय प्रसाद ने इस पर बहुत आपत्ति की थी और इसलिए बिना पोस्ट मार्टम के लाश उन्हें देदी गई थी।

चोटों और घावों का आक्षेप

जिला मजिस्ट्रेट, सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस तथा बीदर जेल के अन्य राज्यकर्मचारियों ने श्यामलाल के शरीर की परीक्षा की थी और बीदर जेल छोड़ने के वक्त तक उस पर चोटों के निशान न थे।"

हमने मांग की थी कि हैद्राबाद से बाहर के कानून के पंडितों के द्वारा जिन में सम्बन्धित सब का विश्वास हो, खुली जांच कराई जाय। हैद्राबाद की सरकार कुछ कारणों से जिनका उसे पता है खुली जांच की जोखिम नहीं उठाना चाहती है। पर्दे के भीतर हुई निजाम सरकार की इस जांच और तहकीक़ात को निम्न कारणों से स्वीकार करने के लिए हमारा मन नहीं करता है:—

(१) डाक्टर पर विश्वास न करने का कोई आधार नहीं है।

(२) चित्रों से जो चीजें साफ जाहिर हैं उनको लोगों की आँखों से छिपाना कठिन है।

(३) मृत शरीर पर चोटें मारना हमारे लिए संभव न था क्योंकि यह निजाम की पुलीस की देख रेख में आया था और ज्योंही यह आर्य कांग्रेस कैम्प में पहुँचा था त्योंही इसके चारों ओर देखने वालों की भीड़ लग गई थी। इसके अतिरिक्त मृत शरीर और जीवित शरीर की चोटों में अलग पहचान होती है।

(४) इस प्रकार की बातों में जेल के अधिकारियों की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता है।

पण्डित दत्तात्रेयप्रसाद जी साफ़ इन्कार करते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से पुलीस को आश्वासन नहीं दिया था। जब उनके सामने यह पेश किया गया कि यदि वे आश्वासन नहीं देंगे तो लाश ठिकाने लगा दी जायगी तो उन्हें आश्वासन

देने के सिवा और कोई चारा नहीं रह गया था। क्योंकि श्यामलाल जी के निकट सम्बन्धी होने के कारण वे उनके शव को लेने के लिए अत्यन्त उत्सुक थे।

मांगों का दुहराया जाना।

जितनी घटनाएँ इस समय तक गिनाई गई हैं उनमें निजाम सरकार का जो रुख देखा गया है उससे हम आर्य्य काँग्रेस शोलापुर के प्रस्ताव सं० ४ के रूप में अपनी मांगों को दुहराने के लिए बाधित होते हैं—

संख्या ४

यह भारत वर्ष की आर्य समाजें निजाम राज्य के अपने सहधर्मियों की सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता से घनिष्ट सम्बन्ध रखती हैं। जहां साधारणतया सभी हिन्दू और विशेषतया आर्य भाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्णनातीत कष्ट सहन कर रहे हैं, यह आर्य्य सम्मेलन (कांग्रेस) हैदराबाद के अपने सहधर्मियों के निम्नलिखित आवश्यक अधिकारों की पुनः घोषणा करता है—

१—धार्मिक कृत्यों व उत्सवों के करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

२—धार्मिक प्रचार, उपदेश, कथा, प्रवचन, व्याख्यान व भजन करने, नगर कीर्तन व जलूस निकालने, आर्य्य मन्दिरों का निर्माण करने, यज्ञशाला व हवन कुण्ड के बनाने, 'ओ३म् ध्वजा' लगाने, नये समाजों की स्थापना करने और वैदिक धर्म तथा वैदिक संस्कृति सम्बन्धी पुस्तकों व पत्रों के प्रकाशन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

३—राज्य अथवा राज्यकर्मचारियों को न तो तबलीग [शुद्धि] में भाग लेना चाहिए, न उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, न जेलों में हिन्दू कैदियों तथा स्कूलों में हिन्दू बच्चों को मुसलमान बनाया जाना चाहिए और न हिन्दू अनाथ मुसलमानों के सुपुर्द किए जाने चाहिए।

४—राज्य के धर्म विभाग (अमूरे मजहबी) को बन्द कर देना चाहिए अथवा हिन्दुओं और आर्यों की धार्मिक बातों तथा मन्दिरों पर इस का कोई प्रभुत्व नहीं रहने देना चाहिए।

५—हिन्दुओं और आर्य्यों के मुकाबले में धर्मान्ध व साम्प्रदायिक मुस्लिम समाचार पत्रों एवं साहित्य को जो पक्षपात पूर्ण संरक्षण दिया जाता है उसे बन्द कर देना चाहिए।

६—बिना किसी मुकदमे के चलाये अथवा अपराध के सिद्ध किए ही आर्य

उपदेशकों पर रियासत में आने के बारे में जो प्रतिबन्ध लगाए हैं, वे हटा दिये जावें।

७—पुलिस तथा राज्य के दूसरे कर्मचारियों द्वारा हिन्दुओं और आर्य के मुकाबले में मुसलमानों की जो तरफ़दारी की जाती है, यह बन्द होनी चाहिए।

८—आर्य व हिन्दू बच्चों के कम से कम प्रारम्भिक (प्राइमरी) और माध्यमिक] सेकन्डरी] शिक्षालयों और वाचनालयों की स्थापनाओं पर कोई प्रतिबन्ध न होने चाहिए।

प्रथम गिरफ्तारी पर हैद्राबाद के अधिकारियों तथा श्री नारायण स्वामी जी की महत्व पूर्ण बात चीत

महात्मा नारायण स्वामी जी तारीख ३० जनवरी को साढ़े ग्यारह बजे की गाड़ी से सत्याग्रह के लिए हैद्राबाद को रवाना हुए। दूसरे दिन प्रातःकाल हैद्राबाद स्टेशन पर पहुँच गए। स्टेट वालों ने शोलापुर से लेकर हैद्राबाद तक सी. आई. डी. तथा दूसरी पुलिस का जाल बिछाया हुआ था सब ही कहते थे कि स्वामीजी को गुलबर्गे में ही रोक लिया जायगा परन्तु स्वामीजी बिना किसी पूछ ताछ के निजाम सरकार की राजधानी में पहुँच गए। पोलिस और सी. आई. डी. सोती ही रह गई। स्वामीजी स्टेशन पर से यान द्वारा आर्यसमाज मन्दिर सुलतानबाजार में पहुँचे। उन के शुभ उद्देश्य, सत्य, अहिंसा, और तपश्चर्या इन सद्गुणों का ऐसा प्रभाव रहा कि न तो महसूलखाने में किसी ने पूछा और न ही शहर में चप्पे चप्पे पर घूम रही पोलिस ने उन्हें कुछ पूछने का साहस किया और आप अपने उद्दिष्ट स्थान पर बिना किसी विघ्न के जा पहुँचे। आर्य समाज मन्दिर में पहुंचते ही एक सी. आई. डी. का हिन्दू व्यक्ति आया और आप का परिचय पूछा। स्वामीजी ने अपना छपा हुआ पता उसे दिया। वह पता लेकर चला गया और थोड़ी देरमें पोलिस के सब इन्सपेक्टर एक मोटरकार ले कर आ गये। स्वामीजी को सम्मान पूर्वक कार पर बिठाया और सुपरिण्टेंडेंट पोलीस के बंगले पर ले गये। वहां पर उन्होंने स्वामीजी का स्वागत किया और स्वामीजी को कहा गया कि आप हमारे गैस्ट (अतिथि) हैं। अतिथिसत्कार में जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया। वहांपर स्वामीजी थोड़ी देर ठहरे। थोड़ी ही देर के पश्चात् निजामगवर्नमेंट का एक हुक्म लाकर स्वामीजी के सामने रखा गया जिस में लिखा था कि "आपके हैद्राबाद में ठहरने से कम्युनल विचारों के फैलने का बड़ा डर है अतः आप शीघ्रतर हैद्राबाद को छोड़कर स्टेट से बाहर चले जाएँ" स्वामी जी को कहा गया कि आप इस पर हस्ताक्षर कर दें। स्वामीजी ने उस पर हस्ताक्षर तो कर दिए परन्तु उनको साफ कह दिया कि मैंने हस्ताक्षर तो यद्यपि कर दिए हैं क्योंकि आपका अतिथि हूं इसलिए आपकी बात का मानना मेरे लिए आवश्यक है तथापि गवर्नमेंट के इस हुक्म पर

मैं आचरण नहीं करूंगा। आपने मुझे जहां ठहराना है ठहरा दीजिए गवर्नमेंट ने हुक्म दे दिया है उसने अपना कर्तव्य बजा दिया अब मैं उसका पालन करूँ या न करूँ। पोलिस अधिकारी ने कहा, आप क्या करना चाहते हैं ? आप जो करना चाहते हैं उसे लिख कर दे दें। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि यह आवश्यक नहीं कि जो किया जाए उसे पूर्व से लिख कर दे दिया जाए यह कोई नियम नहीं है। आपने हुक्म दे दिया है, यदि मैं उसका पालन न करूंगा तो आप मुझे दण्ड दे सकते हैं। वहां से स्वामीजी को एक अंग्रेज अफसर के बंगले पर ले जाया गया। उसने भी स्वामीजी का सत्कार किया और कहने लगा कि आर्यसमाज पहिले तो उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की मांग करता रहा अब आपने तो घोषणा की है कि हमारी मांगें पूर्ण धार्मिक हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया हम आरम्भ से ही धार्मिक मांगों को ही सरकार के सामने उपस्थित करते रहे हैं कभी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं पड़े। आर्य कांग्रेस शोलापुर के प्रस्ताव तथा सार्वदेशिक सभा की चौदह मांगों को बतलाते हुए स्वामीजी ने कहा कि बताएँ इस में कौन सी मांग राजनैतिक है। वह साहब बोले यदि आर्यसमाज की इतनी ही मांगें हैं तो यह तो कुछ भी नहीं हैं यह झगड़ा तो दो मिनट में मिट सकता है इमसे तो निजाम सरकार को कोई क्षति नहीं पहुँचती। स्वामीं जी ने कहा, है तो कुछ भी नहीं यदि सरकार मिटाना चाहे तो इस विवाद को बहुत जल्दी मिटा सकती है। हम राज्य नहीं चाहते हमें तो पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिए। परन्तु निजाम सरकार इस झगड़े को मिटाना नहीं चाहती बढ़ाना चाहती है और उसने व्यर्थ में ही आर्यसमाज को ही झगड़ों का कारण ठहराया हुआ है। अंग्रेज अफसर बोले, आर्यसमाज को क्या कष्ट है ? स्वामीजी ने कहा कि, हमने जो पुस्तक "केस ऑफ आर्यसमाज" छपवाई है उस में आर्यसमाज के सारे कष्टों का वर्णन है हमें शोक है कि आप लोग पुस्तक को पढ़ते भी नहीं हैं और एक ओर की बातें सुन सुन कर पक्ष स्थापन कर लेते हैं कि आर्यसमाजी ही झगड़ालू हैं। वहां पर ही फोन देकर वह पुस्तक मंगाई गई और उस अफसर ने उसे पढ़ा। फिर कहने लगा कि यह सारी बातें सुनी सुनाई है। कोई प्रामाणिक केस सरकार के पास नहीं आया। स्वामीजी ने कहा कि मैं रिकार्ड लेकर तो नहीं आया परन्तु फिर भी थोड़ीसी सुना देता हूं। स्वामीजी ने आर्यसमाज पर हुए एक सप्रमाण अत्याचार को सुनाया। वह साहब बोले .यह तो चार पांच साल की घटना है उस समय मैं नहीं था। स्वामीजी ने कहा आप नहीं थे

गवनमेंट तो यही थी, मैं आपके दोष नहीं बतला रहा गवर्नमेंट के दोष वतला रहा हूं आप दो वर्ष के बाद भी न रहेंगे उसका मैं क्या करूँ। इस विषय में जनाब चुप हो गए और फिर कहा मंदिरों आदि के लिए जैसी आज्ञाएँ हिन्दुओं के लिए हैं वैसी ही मुसलमानों के लिए भी हैं। स्वामीजी ने कहा यह सब कागजी आज्ञाएँ दिखावा हैं वस्तुतः प्रतिबन्ध आर्यों और हिन्दुओं पर ही हैं। अफसर बोला कैसे? स्वामीजी ने कहा कि गुलबर्गे के शरण बसवेश्वर के मन्दिर का कलश चढ़ाने एवं कम्पोंड बांधने की कार्यवाही कई वर्ष से चल रही है आज्ञा नहीं मिली। स्वामीजी ने फिर कहा कि आर्यसमाज ने जितने भी केस सरकार के सामने उपस्थित किए हैं यदि सरकार निष्पक्ष भाव से उन पर विचार करे तो हम सबल प्रमाणों से उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। अफसर ने फिर कहा कि आप गवर्नमेंट के हुक्म के अनुसार हैदराबाद से चले जाएँ। स्वामीजी ने कहा कि मैंने प्रथम ही कह दिया है और अब भी कहे देता हूं कि मैं गवर्नमेंट के हुक्म की तामील नहीं करूंगा। स्वामी जी को फिर सुपरिण्टेंडेंट पोलीस के बंगले पर लाया गया जोकि मुसलमान हैं। आपने फरमाया कि क्या यह सत्य नहीं कि जबसे आर्यसमाज का प्रचार आरम्भ हुआ तब से ही स्टेट में झगड़े शुरु हुए। स्वामीजीने उत्तर दिया कि यह झगड़े आर्य-समाज के लगाए हुए नहीं हैं। अत्याचार तो इससे पूर्व भी आप करते थे। परन्तु कोई आवाज नहीं उठाता था। आर्यसमाज ने हिन्दुओं मे जागृति पैदा करदी और अत्याचार को सहने तथा अत्याचार करने को पाप के कर्म कहा गया है। आप ही बताएँ झगड़ालु आर्यसमाज है या आप लोगों का अत्याचार? पोलीस अधिकारी बोले यह तो आपने भी मान लिया कि जबसे आर्यसमाज का प्रचार शुरु हुआ झगड़े तबसे ही हैं। स्वामीजी ने कहा आप मुसलमान हैं और हजरत मुहम्मद को खुदा का रसूल मानते हैं। उनके आनेसे पूर्व अरब में झगड़े नहीं थे? लोग पापोंमें मस्त थे परन्तु इन्होंने आकर सत्यता का प्रचार किया फल क्या हुआ वे पापी उन के विरोधी हो गए और लड़ाई झगड़े चले। हजरत मुहम्मद को कई लड़ाइयां लड़नी पड़ीं। आपही बताएँ क्या यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि हजरत मुहम्मद साहब ने ही झगड़े फैलाए। इतना सुन जनाब ने तो मौन साध लिया। स्वामीजी को कहा गया कि अभी तीन दिन तो अदालतों का अवकाश है (बकरीद के कारण) आप को एक अच्छे स्थान में हैद्राबाद में ठहरा दिया जाता है तीन दिन के पश्चात् जो कार्यवाही करनी होगी करेंगे। स्वामीजी को मोटर पर बिठाया, और शहर से

पचास मील बाहर एक बंगले पर ठहराया गया और रात्रिभर पोलीस का पहरा रहा। प्रातःकाल स्वामीजी को एक और स्थान में ले जाने के बहाने से मोटर पर बिठाया और हैद्राबाद से मोटर भगाई गई। स्वामीजी ने कहा कि आप मुझे धोका देरहे हैं। मैं हैद्राबाद से जाना नहीं चाहता। कहने पर भी मोटर न ठहराई गई और खानापुर में जोकि शोलापुर से दस बारह मील के अन्तर पर हैद्राबाद स्टेट की सीमा पर है वहां पर लाया गया, वहां से एक अंग्रेजी इलाका की बस पर बिठाकर शोलापुर पहुँचा दिया। स्वामीजी ने इन दो दिनों में न स्नान किया न कुछ खाया न पिया शोलापुर से ही पानी पीकर गए थे शोलापुर में ही आकर फिर पिया। हां हैद्राबाद में पोलीस आफिसर के अत्याग्रह पर थोड़ा सा दूध पिया।

आर्य्य सत्याग्रह की प्रगति

श्री. नारायण स्वामी जी कृष्ण मन्दिर में

श्री महात्मा नारायण स्वामी जी ४-२-३६ को दुबारा २० सत्याग्रहियों के एक जत्थे के साथ सत्याग्रह के लिए गुलबर्गा गए और वहाँ सत्याग्रह करते हुए पकड़े गए तथा एक वर्ष का सपरिश्रम कारावास का दण्ड मिला। उनके पैरों में लोहे का कड़ा भी डाला गया है। पूज्य स्वामी जी के प्रति निजाम सरकार के इस व्यवहार पर न केवल आर्य्य जगत् में रोष और क्षोभ पैदा हुआ है वरन् गैर आर्य्य सामाजिक जगत् के जिम्मेवार क्षेत्रों मे भी इसकी घोर निन्दा की गई है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, असम्बली के सदस्यों तथा अंग्रेजी और हिन्दी के प्रायः सब ही बड़े बड़े पत्रों ने निजाम सरकार के इस कृत्य पर रोष प्रगट किया है। कतिपय असेम्बली सदस्यों के उद्गार इस प्रकार हैं—

श्री अखिलचन्द्र डिप्टी-प्रेजीडेन्ट असेम्बली (सेंट्रल) ने कहा—म० नारायण स्वामीको आर्य्य संस्कृति के लिये हैद्राबाद आर्य्य आन्दोलन में सजा हुई है। दुःख है कि ८२ प्रतिशत हिन्दू प्रजा वाली रियासत इसके विरुद्ध है। मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी आन्दोलन का पूर्ण समर्थन करेंगे।

सरदार सन्तसिंह एम० एल० ए० ने कहा—स्वामी जी को सजा देना 'नागरिक स्वतन्त्रता' को उत्तेजना देना है। हैद्राबाद की सरकार अपनी प्रजा के मौलिक अधिकारों को कुचलने की दोषी है। मुसलमानों की अपने शासकों से मांग इतनी बर्बर है कि कोई सभ्य सरकार इसे सहन नहीं कर सकती। इसका एक मात्र उत्तर आन्दोलन को दृढ़ करना है। जिसका अर्थ यह होगा कि रियासत मुसलमानों की अपनी जायदाद नहीं है। इस आन्दोलन से न केवल आर्य्य और हिन्दुओं का लाभ है अपितु यह सब मानवों के लिये लाभदायक है।

पं० कृष्णकान्त मालवीय ने कहा—"मुझे स्वामी जी की सजा होने पर जरा भी दुःख नहीं है। प्रत्येक हिन्दू को वहाँ जाकर तब तक गिरफ्तार होते रहना चाहिये जब तक प्रत्येक हिन्दू को अपने विश्वास और विधान के अनुसार पूजा या मन्दिर बनाने का अधिकार प्राप्त न हो। वेद प्रचार और उस पर आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है उस में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये"।

पण्डित एल० के० मैत्रेय बंगाल के प्रसिद्ध नेशनलिस्ट, ने कहा—"स्वामी जी को सजा होना असाधारण घटना है। इस से रियासतों में हमारे देशवासियों की दुर्गति पर हमारा ध्यान केन्द्रित होता है। महात्मा नारायण स्वामी जी ने ८५ प्रतिशत जन संख्या के दैव अधिकारों की रक्षा की है। जेल के सींकचों मे वे सच्चे देशभक्त की भांति चमकेंगे"।

मि० जिन्ना से श्री एम० एस० अणे प्रधान आर्य्य कांग्रेस शोलापुर के भाषण के सम्बन्ध में पूछा गया तो आपने बताया कि मैंने उसे पढा है परन्तु आपने यह बताने से इन्कार कर दिया कि आर्य्यों की यह लड़ाई साम्प्रदायिक है या विशुद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक है।

श्री चांदकरण जी शारदा

आर्य्य सत्याग्रह के द्वितीय डिक्टेटर श्री कुंवर चांदकरण शारदा ९-७-३९ को शोलापुर पहुँचे गए हैं और इस समय प्रचार तथा सगठन के कार्य्य में दत्तचित्त है। आपकी देखरेख मे पब्लिसिटी कार्य्य भली भाँति हो रहा है। वे १५-३-३९ को सत्याग्रह के लिए चले जायँगे।

श्री खुशहाल चंद जी

सत्याग्रह के तृतीय अधिनायक श्री लाला खुशहाल चंद जी २५-२-३९ को शोलापुर पहुँच गए हैं और कार्य्य का चार्ज लेने वाले हैं।

गिरफ्तारियाँ

इस समय तक लगभग २००० सत्याग्रही हैद्राबाद की जेलों में चले गए हैं जिन में से १३०० के लगभग हैद्राबाद स्टेट के आर्य्य वीर हैं।

हैद्राबाद धर्म्म-युद्ध सम्बन्धी सार्वदेशिक सभा की विज्ञप्ति

४—२—१६३६

(१)

सत्याग्रह के लिये प्रान्तों के उपदेशक आगे आवें

हैदराबाद में आर्यसमाज का सत्याग्रह शुरू हो चुका है। महात्मा नारायण स्वामीजी हैदराबाद में पहुंचे, पकड़े गये और पुलिस ने उनको हिरासत में रखकर फिर वापिस शोलापुर पहुँचा दिया। आज के तार से हमें यह मालूम हुआ है कि स्वामी जी दुबारा गुलबर्गा में सत्याग्रह करने को रवाना हो गये हैं, निजाम सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर एक वर्ष का कड़ा दण्ड भी दे दिया है उनके साथ दूसरे सत्याग्रही भी हैं। अभी जो खबर प्राप्त हुई है उससे यह भी पता चलता है कि ३१ जनवरी को रियासती सत्याग्रहियों को गुलबर्गा में बेतों की सख्त सजा दी गई है और उनको भयभीत करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हैदराबादी आर्यसमाजियों के दिल मजबूत हैं और किसी क़िस्म की तकलीफ़ उनके दृढ़ निश्चय को ढीला नहीं कर सकती। उन लोगों के दिल लोहे के बने हुये हैं। मैंने स्वयं हैदराबाद के कई नवयुवकों से शोलापुर में बातचीत की थी, बातचीत के दौरान में मेरे हृदय पर यह प्रभाव पड़ा कि हैदराबाद के आर्य नवयुवक अकालियों जैसा भाव रखते हैं और शारीरिक कष्ट उन्हें कोई कष्ट नहीं मालूम होता है। पण्डित श्यामलालजी के मृत-शरीर को जब शोलापुर में लाया गया, वह हैदराबादी नवयुवक वहाँ उपस्थित थे। पण्डितजी के भाई वंशीलालजी उन नवयुवकों के वीर नेता की आंखों में नमी तक नहीं देखी गई। इन लोगों के हृदय में केवल एक ही भाव है और वह यह कि धर्म की बलिवेदी पर अपने आपको स्वाहा कर देवें। धर्म पर परवाने के समान जल मरने वाले वीरों की मौजूदगी में यह विचार करना कि हैदराबाद में आर्यसमाज का सत्याग्रह सफल न होगा, यह अव्वल दर्जे की कायरता है।

एक बात जो आर्य्यनवयुवकों को याद दिलाता हूँ वह यह है कि पूज्य नारायण स्वामी जी ने दूसरा डिक्टेटर श्री चांदकरण जी शारदा को नियत किया है। इस नियुक्ति की तह में नवयुवक आर्य्य समाजियों को बुलावा है। देशभक्त कुंवर चांदकरण जी शारदा नवयुवकों के प्रतिनिधि के रूप में शोलापुर पहुंच गये

हैं। जो लोग उनको जानते हैं, वे यह अनुभव करते हैं कि वे हर प्रकार का बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने उस दिन "दीवान हाल" में अपने व्याख्यान में जिन विचारों का प्रकाश किया है, वे नवयुवक-वर्ग में जीवन फूंकने वाले थे। उन्होंने कहा कि 'इस समय आर्य्यसमाज के सामने जीवन-मृत्यु की समस्या उपस्थित है और इस को हल करने का कार्य नवयुवकों को अपने हाथ में लेना चाहिये।"

इस समय जो आवश्यक काम हमारे सामने है वह यह है कि जिस बड़े काम को हमने अपने हाथ में लिया है, उसे पूरी-पूरी तत्परता और नियंत्रण में रह कर पूरा करें। जो नवयुवक एक दम हैद्राबाद जाने को तैय्यार हों वह अपने-अपने नाम स्थानीय आर्य्य समाज मन्त्री के पास भेज देवें। जहाँ तक सम्भव होगा, स्थानीय आर्य्य समाज उनके सफर खर्च का प्रबन्ध करके और सभा की तरफ से शीघ्र से शीघ्र उनको भेजने का प्रबन्ध किया जावेगा। एक तजवीज़ जिसकी आवश्यकता पर सब लोग ज़ोर दे रहे हैं, वह एक लारी में उपदेशकों को भेजने की है। यह जत्था सब जगह प्रचार करता हुआ हैद्राबाद पहुँच कर अपने आपको धर्म्म की बलिवेदी पर अर्पण करे। मैं इस बात की प्रतीक्षा करूँगा कि कौन-कौन उपदेशक अपने-अपने नाम इस सेवा के लिये सार्वदेशिक सभा के कार्यालय में भेजते हैं। उपदेशकों को भेजने का पूरा-पूरा प्रबन्ध यह सभा स्वयं करेगी, मगर नाम शीघ्र से शीघ्र पहुचने चाहियें।

सुधाकर
मंत्री
सार्वदेशिक सभा देहली।

(२)

प्रान्तिक प्रतिनिधि सभाओं के नाम सरक्यूलर

आपको यह विदित ही है कि हमारा धर्म युद्ध एक बड़ी हर प्रकार से सम्पन्न रियासत के साथ है। इसकी गतिविधि को हमें दिनों दिनों बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं यह महसूस करता हूं कि इस धर्म युद्ध के महत्व को हमें प्रत्येक समाज के प्रत्येक सभासद तक पहुँचाना है। मैं आप से सविनय निवेदन करता हूँ कि आप निम्न बातों पर विशेष ध्यान देवें और उन्हें कार्य्य रूप में परिणत करें।

(१) अपने आधीनस्थ सभी समाजों को घोषित करदें कि इस आगामि वर्ष में हमें समाजों के उत्सव नहीं मनाने चाहिए। हाँ! वे अपने यहाँ हैद्राबाद सम्बंधी कांफ्रैन्स कर सकते हैं और उन में धन जन की अपील होनी चाहिए।

(२) आपके आधीनस्थ सब उपदेशक केवल हैद्राबाद सत्याग्रह सम्बन्धी काम पर लग जाने चाहिए। जिन उपदेशकों को आप तुरन्त शोलापुर भेज सकें, उन्हें वहाँ भेज कर उनकी सेवाएँ शोलापुर सत्याग्रह समिति के आधीन कर देवें। आप अपने उपदेशकों तथा विशेषतया भजनोपदेशकों को यह ताकीद अवश्य कर देवें कि वे अपने प्रचार में शिष्टता का पूर्ण ध्यान रक्खें। हमारा यह युद्ध सत्य के ऊपर आश्रित है और हम नहीं चाहते कि उसके गौरव को किसी प्रकार की असावधानी से कम कर दिया जाय।

(४) अपनी अपनी सभा के समाचार पत्रों को भी यह ताक़ीद कर दें कि वे शोलापुर से प्राप्त समाचारों को आर्य्य जनता तक पहुँचाने में देरी न किया करें और उन्हें अच्छा स्थान दिया करें।

मंत्री
सार्वदेशिक सभा देहली।

Resolution Re, Hyderabad State

The following is the detailed resolution that was adopted at the open session of the All India States People's Conference at Ludhiana:—

16 (*a*) This Conference notes with deep regret the exceptionally backward and reactionary position occupied by the Hyderabad State in respect of the civil rights and popular liberties of the people, the rights of organization and assembly being practically non-existent and any independent public life being rendered impossible. The ban on the State Congress,

which came in the way even of its formation, Gashti No. 53, especially in its new and aggravated form, and the Public Safety Act prevent the exercise of the most elementary and basic personal and civil liberties. This ban on the State Congress has been continued even after the suspension of Satyagraha by it, and about 400 Satyagrahis of the State Congress are still in prison.

(*b*) The Conference congratulates the State Congress upon the discipline and orderliness uniformly displayed by it in conducting the Satyagraha movement in the State, both in respect of starting and suspending it.

(*c*) The Conference is of opinion that the well established principle of freedom of faith and religious worship has not been observed by the State authorities and is impeded by regulations and, more particularly, by the practice in the State and the desire to have these impediments removed is by no means communal and a wholly legitimate. The Conference trusts that all these restrictions will be removed and religious freedom fully observed in regard to all religious communities. The Conference is, however, of opinion that the Satyagraha started with the object of getting these religious disabilities removed is inopportune, as it tends to have communal repercussions and gives a pretext to the State authorities to oppose the larger movement for responsible Government and civil liberty under cover of communalism.

(*d*) The Conference trusts that the Hyderabad Government will remove the ban on the State Congress as well as other impediments to the full exercise of civil liberty. In the event of the Government persisting in its present policy, a resumption of Satyagraha by the State Congress for the establishment of fundamental rights and political liberty might become inevitable.

श्री लोकनायक अणे तथा सर अकबरहैदरी के मध्य पत्र-व्यवहार

अखिल भारतीय आर्यन कांग्रेस शोलापुर के प्रधान श्रीयुत एम० एस० अणे ने, २२ जनवरी १९३८ को जो पत्र निजाम राज्य के प्रधान मन्त्री सर अकबर हैदरी को भेजा था, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के लिए दे दिया है:—

"मैं २५, २६ तथा २७ दिसम्बर को हुई आर्यन कॉंग्रेस के पिछले सेशन में जो प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, उनकी एक प्रति आपकी सेवा में भेजता हूँ। मैं इसके द्वारा आपका ध्यान उनमें आई कुछ बातों की तरफ़ खास तौर पर आकर्षित कराना चाहता हूँ।

प्रस्ताव सं० ७ असन्दिग्ध रूप से इस बात को स्पष्ट कर देता है कि आर्य-समाज के द्वारा संचालित सत्याग्रह युद्ध के आन्दोलन के पीछे किसी प्रकार का भी राजनैतिक उद्देश्य नहीं हैं। प्रस्ताव द्वारा स्पष्ट रूप से अनतिशयोक्ति पूर्ण घोषणा की गई है कि—"आर्य समाज का वर्तमान आन्दोलन न तो राजनैतिक है और न साम्प्रदायिक। परन्तु यह तो केवल मात्र विशुद्ध धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए है।

प्रस्ताव संख्या ४ में हिन्दुओं और आर्यों पर होने वाली तकलीफ़ों तथा कठिनाइयों का अधिकांश रूपसे वर्णन किया गया है। आर्यसमाजी केवल इस बात की माँग कर रहे हैं कि उन्हें हैदराबाद स्टेट में कायदे कानून द्वारा लगी हुई पाब-न्दियाँ तथा नियमों द्वारा किए गए हस्ताक्षेप और आपत्तियोंके बिना, विशुद्ध धार्मिक प्रचार करने की स्वतन्त्रता का अधिकार मिल जावे। इस स्टेट में जहाँ कि अधिक जन संख्या का धर्म शासक के धर्म से सर्वथा भिन्न हो वहाँ स्टेट के अधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि वे दृढ़ रूप से धार्मिक निष्पक्षता के नियम का पालन करें और अधिकारियों को, शान्ति तथा व्यवस्था के नाम पर प्रजा के धार्मिक रीति रिवाज तथा क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने से भी रोकें।

आर्यसमाज के शिक्षित प्रचारक तथा सामाजिक कार्य कर्त्ताओं ने अपने कार्य्य को धार्मिक तथा सामाजिक सीमा तक रक्खा है। आर्य कॉंग्रेस में स्वीकृत प्रस्तावों से पता चलता है कि किस प्रकार स्टेट के अफसरों की धर्मान्धता के कारण स्टेट में उनके धार्मिक तथा जनोपकारक कार्य को नष्ट किया जारहा है आर्य समाजियों ने कई बार इस बात को दर्शाया है कि वे स्टेट के

शासक के प्रति उतना ही आदर का भाव रखते हैं, जितने का दावा कि रियासत के अन्य जन करते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं नम्रता पूर्वक आपका ध्यान अपने प्रधान पद से दिये गये भाषण के ३२ तथा ३३ पृष्ठ पर आये निम्न विचारों और पृष्ठ ५१, ५२ पर आये सिद्धान्तों की तरफ खींचना चाहता हूं।

"तो भी हमारे सामने ऐसी दो चीजें विद्यमान हैं जिन पर स्थिति के सुधार के लिए हम निर्भर रह सकते हैं। 'आसफ जाई' राजघराने की धार्मिक निष्पक्षता और सहिष्णुता की परम्परागत मर्यादायें और सर अकबर हैदरी की उदार राजनीतिज्ञता, मुझे आशा है, अन्त में साम्प्रदायिक भेद भावों पर विजयी होगी, जो 'पिछले कुछ वर्षों में बाहरी प्रभावों से उत्पन्न हुए तथा बढ़े हैं और निकट भविष्य में प्रजा का आन्दोलन सफल होगा।"

मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऊपर प्रकट की गई आशा पूर्ण आधार युक्त है और सफल सिद्ध होगी। पृष्ठ ५१ तथा ५२ पर बताये गये असूलों में से प्रथम तथा पंचम असूल में प्रतिपादित मार्ग ही आर्य समाज ने धार्मिक संस्था होने के कारण की है।

दूसरे तीसरे तथा चौथे सिद्धान्तों पर आन्दोलन करने वालों के साथ उनकी सहानुभूति है। परन्तु वे विशुद्ध रूप से धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता के लिए ही युद्ध कर रहे हैं।

प्रस्ताव सं० ५ (स) में उन समस्याओं का दिग्दर्शन कराया गया है, जिनके लिए स्टेट को तत्काल काम शुरू कर देना चाहिए। वे ये हैं:—

(१) अन्य मतावलम्बियों की भावना का ध्यान रखते हुए, वैदिक धर्म तथा सभ्यता के प्रचार की पूर्ण स्वतन्त्रता।

(२) नई आर्य समाजें खोलने तथा नये आर्य समाज मन्दिर, यज्ञशाला, हवन कुण्ड बनाने की, तथा टूटे हुए मन्दिरों के पुनर्निर्माण की स्टेट के धर्म्म विभाग से बिना आज्ञा लिए, पूर्ण स्वतन्त्रता।

ये तात्कालिक मांगे ऐसी हैं जिनके स्वीकार करने में न तो राज्य के लिए किसी प्रकार का खतरा है और न गौरव हानि है।

प्रस्ताव सं० १५ के अनुसार २२ जनवरी १६३६ को "हैदराबाद दिवस" मनाने का निश्चय किया गया है। ब्रिटिश भारत में हजारों स्थानों से निजाम

सरकार की सेवा में अपील की जावेगी कि वह प्रस्ताव सं० ४ तथा ५ में प्रतिपादित मांगों को स्वीकार करे और इस प्रकार राज्य भक्त बहुसंख्यक प्रजा तथा राज्य के बीच में उन मूल भूत नागरिक अधिकारों पर संघर्ष होने से बच जावे जिनका प्रत्येक सभ्य रियासत के नागरिक उपभोग करते हैं।

मैं उपसंहार में आपसे तथा आपके द्वारा निजाम सरकार की सेवा में एक और रना चाहता हूँ।

ब्रिटिश भारत में हिन्दू मुस्लिम एकता की समस्या का हल अधिकतर उस भावना पर आश्रित है जिस पर कि हिन्दू तथा आर्यों की मांगे स्टेट में अधिकारियों के सामने पेश की जावेंगी। यह प्रश्न स्थानीय समस्या नहीं है। यह एक विशाल पहलू रखता है और इसका असर सारे देश के राजनैतिक तथा धार्मिक प्रवाह पर पड़ेगा। अपने मूल भूत नागरिक अधिकारों की प्राप्ति में हिन्दू जनता के हृदयों पर बड़ा भयानक असर पैदा करेगी; और हिन्दू मुस्लिम एकता होने का अवसर बहुत ही कम रह जावेगा।

मुझे पूर्ण आशा है कि आपकी उदार वृत्ति और विशद राजनीतिज्ञता विजय होगी और हैदराबाद राज्य एक बार फिर इस स्पर्द्धा योग्य अवस्था में होगा जिसमें वास्तव में अब से २५ वर्ष से कुछ अधिक वर्ष पूर्व था; जबकि उस समय के शासक ने एक स्मरणीय अवसर पर बड़े अभिमान के साथ उचित रीति से निम्न प्रसिद्ध घोषणा की थी :—

"मेरी रियासत में न तो कोई राजनैतिक आन्दोलन है और न हिन्दू मुस्लिम कलह। मैं सबसे समान वर्ताव करता हूँ।"

यही संक्षेप में आर्य्य समाज की मांग है।

सर अकबर हैदरी के पत्र का सार

हैदराबाद रियासत में शीघ्र ही महत्वपूर्ण सुधार जारी किये जाएंगे।

इन सुधारों में केवल वैधानिक और राजनैतिक सुधार ही नहीं होंगे अपितु एक ऐसी कमेटी स्थायी रूप से बनायी जायगी जो प्रत्येक मजहब और संस्कृति के सम्बन्ध में शिकायतें एकत्र करेगी और इन शिकायतों को दूर करने का उपाय सुझाएगी।

मांगे अस्वीकृत

सर अकबर ने यह कहते हुए भी कहा सरकार व्हाइट पेपर पर दृढ़ है और धार्मिक सभा आदि की पाबन्दियां सब प्रजा पर एक सी हैं, आर्यसमाजियों के लिए उन्हें ढीला नहीं किया जा सकता।' आपने आर्य समाजियों पर निजाम की निन्दा और साम्प्रदायिक उत्तेजनात्मक साहित्य प्रकाशित करने का भी आरोप लगाया है।

वायसराय को पत्र

प्रोफेसर सुधाकर जी एम० ए० मन्त्री, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली ने जो पत्र ता० १७ जनवरी सन् १६३६ को श्रीमान् 'वायसराय की सेवा में भेजा था, इस प्रकार है—

श्रीयुत् एम० एस० अणे एम०एल०ए० के सभापतित्व में शोलापुर में अखिल भारतीय आर्य कांग्रेस का जो अधिवेशन २५, २६ तथा २७ दिसम्बर सन् १६३६ को हुआ था, उसमें स्वीकृत प्रस्तावों की एक प्रति आपकी सेवा मे अनुकूल विचार के लिये तथा उस पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता हूं।

मैं श्रीमानों का ध्यान चौथे प्रस्ताव की ओर नम्रतापूर्वक आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें श्रीमान् निज़ाम महोदय की रियासत मे होने वाली उन कठिनाइयों तथा शिकायतों का उल्लेख है, जिन्हें कि वहां के हिन्दू साधारण तौर तथा आर्य विशेष तौर पर सहन कर रहे हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे आपको पता चल जावेगा कि किस प्रकार रियासत के आर्य्यों को उनके धार्मिक संस्कार तथा क्रिया कलापादि करने से रोका जा रहा है।

मुझे आशा है कि सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में आप हिन्दुओं पर होने वाले उपर्युक्त कष्टों की आंच करने के लिये आवश्यक कार्यवाही और उन्हें न्याय तथा सद्व्यवहार दिलाने के लिये अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे।

मैं यह कहने का साहस भी करता हूं कि किसी समाज को उसके धार्मिक रीति रिवाज तथा क्रिया कलाप करने की उचित सुविधाओं का न देना रियासत में अच्छे शासन के अभाव को दर्शाता है। इसलिये यह एक ऐसी बात है जिसमें सम्राट के प्रतिनिधि का राज्य की प्रजा के हितार्थ जो कि रियासत के शासक में निष्ठा रखने के साथ २ ही ब्रिटिश सरकार (सर्वोच्च सत्ता) मे भी रखती है, तहकीकात के लिये पूरा अधिकार है।

अन्त में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रियासत की जनता इस परीक्षा और मुसीबत के समय में अपने कष्टों के निवारणार्थ आपकी ओर देखती है।

धर्मयुद्ध

हैदराबाद के धर्म-युद्ध का सामूहिक रूप मे श्री गणेश हुए १ मास से कुछ अधिक समय हो चुका है। इस युद्ध को सफल बनाने के लिए आर्य्य जगत् में उत्साह और त्याग की जैसी कि आशा थी एक अपूर्व लहर दौड़ रही है। आर्य-समाज के बच्चे-बच्चे के दिमाग मे इस समय यदि कोई बात है तो वह इस युद्ध की है कोई कार्यक्रम है तो इस युद्ध की सफलता का है। इस देश में ही नहीं वरन् विदेश मे भी अत्यन्त उत्साह छाया हुआ है तथा इस युद्ध की सफलता के लिए प्रचार और धन संग्रह इत्यादि का कार्य भली भांति आरम्भ होगया है। सचमुच विदेश के आर्य भाइयों ने हमारे इस युद्ध को अपने भारतीय भाइयों से कम चिन्ता और गम्भीरता मे ग्रहण नहीं किया है। सम्प्रति उन भाइयों की धन और प्रचार की ही सहायता हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होगी इस खयाल से उन्हें अपनी प्रगतियों को विशेष रूप से इन्हीं पर केन्द्रित रखने के लिए निवेदन कर दिया गया है।

इस जोश के परिणामस्वरूप सर्वत्र अच्छा कार्य्य हो रहा है। इस युद्ध के लिए जैसा कि हम कई बार प्रगट कर चुके हैं बहुत धन की आवश्यकता है। पता नहीं यह कितना समय ले जाय। अतः इस कार्य की प्रगति को और ज्यादा बढ़ानेकी जरूरत है। सत्याग्रही आर्य वीरों की पूर्ति के सम्बन्ध में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। धड़ाधड़ जत्थे जा रहे हैं, हमें इतने अधिक निमन्त्रण मिले हुए हैं और दिन पर दिन इनमें इतनी अधिक वृद्धि हो रही है कि हमें निश्चय करने में कठिनाई उपस्थित हो जाती है। कुछ सज्जन स्वयं उपस्थित होकर युद्ध-क्षेत्र में तत्काल भेज देने का आग्रह कर देते हैं ठहरना तथा प्रतीक्षा करना उन्हें

असह्य हो जाता है। इस जोश का हम आदर करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि उससे लाभ उठाया जा रहा है तथा आगे उठाने में कोई कसर न रक्खी। जायगी। परन्तु प्रबन्ध, नियन्त्रण और अनुशासन पर भी ध्यान रखना ही होता है।

हमें यह देखकर प्रसन्नता है कि निजाम सरकार के दमन-चक्र के तेजी से चलते हुए भी सत्याग्रही अपने उद्देश्यकी पवित्रता और सच्चे सत्याग्रही का सत्य और अहिंसा का आचरण अङ्कित कर रहे हैं और हमें आशा है बड़ीसे-बड़ी उत्तेजनाओं, कष्टों और मुसीबतों में भी अपने युद्ध के इस महान अस्त्र की पवित्रता को अनुपम रूप में अङ्कित करते रहेंगे। किसी प्रकार के कष्ट, मुसीबत और त्याग की हमें शिकायत होनी ही नही चाहिए क्योंकि यह मार्ग हमने स्वयं चुना है। फिर आर्यसमाजी इस प्रकार के कष्ट सहन तथा अपने समाज के गौरव को बढ़ाने और मर्यादाओं को क़ायम रखने के लिए संसार प्रसिद्ध हैं। जितनी भी बड़ी से बड़ी हमारी कुर्बानियां होंगी और हम अपने उद्देश्यों की पवित्रताओं पर दृढ़ रहेंगे उतनी ही निकट हमारी सफलता होगी।

हमारे युद्ध के मूलभूत आधार का औचित्य अब सब ओर से स्वीकार कर लिया गया है। अब लोगों को, घोर विरोधी आन्दोलन के बावजूद भी, मालूम होगया है कि आर्य्य समाज का आन्दोलन सच्ची शिकायतों और मुसीबतों पर आश्रित है और विशुद्ध धार्मिक है। साम्प्रदायिक और राजनैतिक कतई नहीं है। यह आन्दोलन न निजाम साहब के खिलाफ़ है, न उनके घराने के खिलाफ़ है, न इस्लाम और मुसलमानोंके खिलाफ़ है। अब समझदार मुसलमान भी इस सचाई को दिल से अनुभव करने लग गये हैं और बाज २ प्रकाश में कहने भी लग गये हैं।

इस रीति से हमारे युद्ध का एक बड़ा स्टेज खत्म हो गया है। बाकी स्टेज भी शीघ्र खत्म होंगे। यह जितना हमारी कुर्बानियों पर अवलम्बित है उससे कहीं अधिक निजाम महोदय तथा उनकी सरकार की दूरदर्शिता पर आश्रित है।